

50-60 एकड़ में ही अन्नक उत्पादन का कार्य करता है। अतः मिटको की आवश्यकता की पूर्ति 10 प्रतिशत भी नहीं कर पाता है। अस्तु, एक पुयक् भारतीय अन्नक उत्पादन निगम को सृजित करके मिटको का सहयोगी निगम घोषित किया जाए तो उत्पादन, संसादितकरण विनिर्माण, अनुसंधान, विकास आदि की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति संभव है। भारत सरकार इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करे।

(viii) Dubbling of film *Gandhi* in all regional languages of India.

PROF. P.J. KURIEN (Mavelikara) : The film 'GANDHI' made by Richard Attenborough has achieved immense popularity in the whole world. This popularity can be attributed to the effective presentation of the life and struggle of Gandhi and the power of his message of truth and non-violence.

The film is a powerful visual medium and its potentiality to mould human mind is unlimited. In a world being torn apart by strife, Gandhi's message has great relevance and modern world is slowly realising the truth that only Gandhian methods can pull back the world from the precipice where it finds itself today, Gandhi's message alone can save our generation which has lost its cultural moorings from total moral degeneration.

However, as the Gandhi film has been made only in English and Hindi, a large segment of our population will be deprived of the benefits of this film. Therefore, the Government should take initiative in getting this film dubbed in all the regional languages of india, so that this film gets a country-wide audience. I request the Government to take immediate steps in this regard.

14.20 hrs.

ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL—CONTD.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Bhagwat Jha Azad on the 27th April, 1984, namely :

"That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Hon. Members, we have already taken about 18 minutes.

The time allotted is one hour and Shri Satyasadhan Chakraborty will continue. He has already taken about 16 minutes. He will be followed by Shri Harikesh Bahadur and then the Minister will reply.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : How can you say like that ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : These things, we have already decided. One hour is allotted. That has already been decided.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : How can you deprive any Party ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : This cannot be done like this. You should allow everybody.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You give a special notice ; we will see. Please sit down now. Mr. Satyasadh an Chakraborty.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : Sir, I have already emphasised the point that the Central Government is not supplying to the States as per the demands of the States and thereby the very purpose is being defeated, that is, to supply the States with adequate quantities so that the public distribution system may serve the people, particularly the poor people.

Another factor that as to be taken into account is the quality of the foodgrains that is being supplied, I would like to draw the attention of the Minister to this.

The Minister's attention seems to have been divided.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : I am listening. You were mentioning about the quality.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : I would request the Minister not only to give the foodgrains to the States, but to have a sample survey of the quality of rice and wheat that is being supplied from the fair price shops in Delhi. In my State also, the quality of foodgrains that are supplied is so bad that it is unfit for human consumption.

AN HON. MEMBER : Is it so in your State only ?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : It is so in Rajasthan also. I do not know why this happens. Why are these sub-standard quality of foodgrains supplied ? And, the States are compelled to take it because they have no other alternative. I would like to request the Minister to go in how this happens, whether some unscrupulous persons are doing this. The whole policy of F.C.I., how they purchase foodgrains, who certifies them whether they are fit for consumption, all these things have to be gone into. I request the Minister got into them.

Only the other day, I have received a telegram from Tripura, I read :

“Food situation in Tripura has worsened seriously due to continuous drought....”

AN HON. MEMBER : What about Bengal ?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Yes, in West Bengal also. Everywhere the good position is worsening. Now, Tripura's monthly requirement is 10,000 metric tonnes, and the Central Government should have a stock of 20,000 metric tonnes for the rainy season. But what is the position now ? They have only 3000 metric tonnes as on 19.4.1984. The very purpose for which the buffer stock is created to help the States during the difficult times is being defeated because you do not keep adequate stock so that when the States need, they can take from the Central Pool. The Minister has had already talks with the Chief Minister of Tripura. I am sure, he will sympathetically see the whole thing.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What is your contribution to the Central Pool from West Bengal ?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : A large part of West Bengal is devoted to jute cultivation. Naturally, West Bengal is a permanently deficit State even in spite of good crop. It is the duty of the Central Government to feed the people of West Bengal. We are giving all other things. India is one. I request the Minister to go with me to Calcutta and I shall be happy to serve him rice which is being supplied by his Government. And I shall be happy to see him consuming the rice he is supplying to the people of West Bengal. We are trying to improve it. But we are compelled to take the sub-standard rice from the Central Pool. He should look into it.

Until and unless you take over the wholesale trade in foodgrains it will be very difficult for you to supply essential commodities at reasonable prices, because if you keep the wholesale trade in the hands of profiteers and private traders, the very purpose for which the Essential Commodities Act was passed, will be defeated. I do not know why the Central Government is unwilling to do it. I very emphatically demand that 14 essential commodities should be given by the Centre to the people at subsidised rates. If you can give subsidy to the industrialists for their export, why can you not give subsidy—even if it requires thousands of crores, you should do it—to feed our people so that our poor people can get 14 essential commodities at cheaper prices. For that it is absolutely essential that the wholesale trade is taken over by the Government.

About this Bill there is very little to quarrel with the Minister. The purpose is very good. From the reply of the Minister in Rajya Sabha I gather that three companies, Hindalco, Indalco and Malco, owe to the Government more than Rs. 52 crores. It is strange. I should ask the Minister to be very strict about it so that these companies cannot put you in difficulties and in a way cheat you because you are losing interest rate. The purpose is very good. I support that. But the question is whether it should be 6 per cent. That was also raised by other Members there. What they will do is that they would not pay you the money because the present bank rate is higher than 6 per cent. A demanded by other Members that

it should be raised to 15 per cent, I think that should be done.

I would request the Minister to answer the various points I have raised and make public distribution system a success by timely supply, by supplying good quality of cereals, by eradication of corruption in FCI and also by taking over the wholesale trade in foodgrains so that Government can supply all the things to the people at reasonable prices.

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रोफेसर साहब ने पहली बार हाऊस में सरकारी पक्ष का समर्थन किया है। हमारा यह विभाग देश की 70 करोड़ आबादी को आवश्यक वस्तु की सप्लाई का काम करता है। यह बात सही है कि सेन्ट्रल गर्वनमेंट ने जो वितरण व्यवस्था की है, वह सामयिक और समयानुकूल है। केन्द्र सरकार से राज्यों को जो गाइड-लाइन्स जाती हैं, उनका अनुपालन न करने की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारी प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने राज्यों को दो हजार पर यूनिट शहरों में और ढाई-तीन हजार पर यूनिट देहातों में राशन की दुकानें आवंटित करने का आदेश दिया है। इन आदेशों का पालन राज्य सरकारें उस तरह से नहीं कर रही हैं, जैसा कि केन्द्रीय सरकार चाहती है। मैं चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी के 12 सूत्री कार्यक्रम की ओर पुनः ध्यान देने के लिए राज्यों को आदेश दिया जाना चाहिए। इस बात की खुशी है कि सरकार ने इन्डस्ट्रियल बेल्ट में मजदूरों के लिए राशन तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं का वितरण करने के लिए कहा है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और इन्डस्ट्रियल बेल्ट भी है। मेरे क्षेत्र में दो-तिहाई बिजली पैदा होती है। वहां पर तीन सीमेंट फैक्ट्रीज, कोल माइन्स, हिन्डालको, कनौड़िया मिल्स, व तीन सुपर थर्मल पावर स्टेशन हैं। सरकार का यह आदेश

है कि केजुअल लेबर के लिए राशन की व्यवस्था की जाए। दुख इस बात का है कि प्रदेश सरकार इस व्यवस्था में असफल रही है। सरकार का आदेश है कि केजुअल लेबर्स के लिए चलती-फिरती दुकानों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूँ कि सरकार आदेश दे कि इस वितरण व्यवस्था को प्रदेश सरकार द्वारा दुरुस्त किया जाए। वितरण व्यवस्था के संबंध में जो उल्लंघन करने वाले लोग हैं जैसे— ब्लैक मार्किटियर्स, होर्डर्स, स्मगलर्स और प्राफिटियर्स इनके साथ सख्ती से कदम उठाना चाहिए। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जुर्माना वसूल करने की ओर सरकार का ध्यान गया है। मैं, प्रोफेसर साहब से सहमत हूँ कि छह परसेंट की बजाय पन्द्रह परसेंट जुर्माना लिया जाना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से इसमें संशोधन किया जाना चाहिए चाहे इसके लिए दोबारा राज्य सभा में जाना पड़े। जो लोग रुपया दे सकते हैं, उनके लिए भी एक अलग प्रोग्राम बनाना चाहिए। आइ० आर० डी० और स्पेशल कंपोनेंट योजनाओं के अन्तर्गत गरीबों को लोन दिया जा रहा है।

उस सबसिडी का लाभ जिन किसानों को मिलना चाहिए था, वह अभी नहीं मिला, परंतु बैंकों ने उसकी वसूली के आदेश डी० एम० को भिजवा दिए। आजकल यह हो रहा है कि पहले तो उनको सबसिडी का लाभ नहीं मिल पाता, जो उनको लाभ होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और दूसरी तरफ वसूली के आदेश दे दिए जाते हैं, जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए वचनबद्ध है, यदि हम इस तरह वसूली में कड़ाई का रुख अस्तयार करेंगे तो उससे उनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। मैं चाहूंगा कि उसमें लीनियेंसी बरती जाए और जब तक उस सबसिडी या लोन का लाभ उस व्यक्ति को मिलना शुरू न हो जाए, तब तक वसूली न हो। दूसरी बात

मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को जितनी सबसिडी आदि देती है, उसे कुछ समय बाद यह आइवस्त कर लेना चाहिए कि उसका लाभ वास्तविक लोगों तक पहुंच गया है या नहीं। मैं अभी अपने क्षेत्र का दौरा करके आ रहा हूँ और मुझे शिकायतें मिली हैं कि हमारे इंडीरियर में 1981-82 से सब्सिडी आदि का लाभ ट्राइबल और हरिजन आदि लोगों को नहीं पहुंच रहा है, लेकिन उसकी वसूली के आदेश बैंकों की ओर से सम्बन्धित क्लर्क को भिजवा दिए गए हैं। श्रीमन्, इस तरह की वसूली में दस परसेंट चार्ज लगता है। जब हम लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए वचनबद्ध हैं तो इस प्रावधान के कारण उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं और हमारी नीति वरदान की बजाए अभिशाप बन गई है। अभी कल-परसों इस सदन में हमारे कई लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में महसूस की जा रही तकलीफों का जिक्र किया। लेकिन यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, ऐसा नहीं है, दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए बैंकों से जो सहायता दी जाती है, उसकी वसूली में उचित व्यवस्था की जाए और उनसे 10 परसेंट सर-चार्ज वसूली वाली शर्त को रद्द कर देना चाहिए। यह बात सही है कि हमारी प्राइवेट कम्पनीज में हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है, लेकिन वह सारा धन देश के लोगों का है, सैंड्यूल्ड बैंकों का लगा है, इसलिए उनके साथ वसूली में कड़ाई होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की भावना का आदर करते हुए मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

SHRI HARIKESH BAHADUR :
(Gorakhpur) : Sir, I must thank the hon. Minister for bringing this Bill and I would like to add that the Minister is in the habit of bringing good measures. I am talking of this particular Minister, I am not talking of the entire Government. This Bill should have been brought earlier. There are dues on various companies and these companies

are not in the habit of paying dues. Therefore, the Government should realise these dues from these companies and, in my opinion, with an interest rate of 25 per cent and not less than that. I would like to suggest to the hon. Minister that whatever interest rate he is having in mind, he should try to consider my suggestion and try to implement it also.

This Bill has got very limited scope but I would like to speak on few things more because the people are facing certain problems. Prices are going up since this Government came to power and it appears that the Government does not have any control over the prices.

So far as this Bill is concerned, I have thanked the hon. Minister but not about the other matters for which I am going to criticise the entire Government. Sometimes the commodities are not available even at higher prices and this becomes a very unfortunate situation when the people go with money but do not get the desired commodities. Just now the hon. Shrimati Krishna Sahi has said about the non-availability of postcards, etc. which does not come under the Ministry of the hon. Minister but that comes under the Communications Ministry. That is also an essential commodity, so I would request the hon. Minister to consult his colleague, the Communications Minister and try to make an arrangement so that these things are also available properly.

Just now I have raised an issue of non-availability of diesel in eastern U.P. area. At this stage I am finding that the farmers are the greatest sufferers. They are not getting the diesel and that is why their agricultural work is suffering. This is especially because of corruption, black-marketing and profiteering. Government must try to have effective control over this. Whenever there is any natural calamity and people are in great need of certain things, immediately these black-marketeers, profiteers and hoarders create an artificial scarcity for these things in the market and that goes completely against the interests of the people, who are the biggest sufferers in this matter. I would pray to God that there should not be any flood. But, I do not know what will happen after 3 or 4 months. If there is any flood, natural calamity, cyclone or drought, immediately these anti-social elements will

come in a very big way and start harassing the people. Therefore, I would say that the governmental machinery must be streamlined. Sometimes we find at the time of crisis that even the people who are working in the government machinery are not faithful to the government or the people. They also create problems, apart from the blackmarket-eers and hoarders. So, the Minister should look into the problems and see that things are made available at reasonable prices by streamlining the entire distribution system.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु (संशोधन)
विधेयक का समर्थन करता हूँ।

भारत सरकार ने लगभग तीन लाख फेयर प्राइम शाप्स खोल रखी हैं, लेकिन उनमें सारा सामान उपलब्ध होता है या नहीं, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मंत्री महोदय ने शकर के बारे में अच्छी व्यवस्था की है और जहाँ पर दुकानें हैं, वहाँ वह मिलती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खाने-पीने का सामान कहीं उपलब्ध नहीं होता। प्रोफेसर साहब ने सुझाव दिया है कि मोटा कपड़ा, एडीबल आयल और वेजीटेबल आयल आदि 14 एग्रेसिव आर्टिकल निश्चित रूप से सब जगह मिलनी चाहिए।

आज नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन 500 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही है। लेकिन इसके बावजूद क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कपड़ा मिल रहा है? मंत्री महोदय को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए। राज्य या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मोटा कपड़ा पहुंचाया जाता है, वह ऐसे लोगों के पास चला जाता है, जो उसकी ब्लैक करते हैं और इस लिए गांवों के लोगों को घोती या लट्ठा आदि नहीं मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पहनने के सब कपड़े बाजार में बिक रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट मंत्री महोदय के आदेशों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं करती है। उन पर दबाव डालना चाहिए कि वे वितरण व्यवस्था को ठीक करें। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो आम लोगों का

शोषण होता रहेगा और पूंजीपति अपने भंडार भरते रहेंगे।

आज कल गांवों में वनस्पति घी उपलब्ध नहीं है। अखबारों में आता है कि डाक्याडंज में हड़ताल के कारण वनस्पति घी उपलब्ध नहीं हो सका है। लेकिन जिन कारखानों में वनस्पति घी के हजारों टन भरे हुए हैं, उनकी तालाशी लेनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चूंकि सरकार का उनपर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए वे चालीस—पचास रुपये प्रति-टन ब्लैक कर रहे हैं। भारत सरकार समय-समय पर आदेश देती रहती है, लेकिन राज्य सरकारें उनका पालन नहीं करती हैं। राज्य सरकारों पर इस बात का दबाव डालना चाहिए कि भारत सरकार जिन चीजों के लिए अरबों रुपए खर्च करती है, उनका वितरण ठीक तरह से होना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि आपकी जो प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था है उसके संबंध में भारत सरकार के आदेश हैं कि एजेन्ट की मार्फत गल्ला न खरीदकर डायरेक्ट किसानों से ही खरीदा जाना चाहिए लेकिन एफ सी आई के जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं वे आज गांवों में क्या कर रहे हैं? आपका आदेश है कि 150 रुपये क्विंटल का दाम किसान को गेहूं के लिए दिया जाए लेकिन एजेन्ट मार्फत 130 रुपये क्विंटल के भाव पर गेहूं लिया जा रहा है और वही गेहूं एफ सी आई को 150 में बेचा गया दिखाया जा रहा है। यह जो गड़बड़ हो रहा है इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज जो मिडिलमैन और एफ सी आई के अधिकारी मिलकर फायदा उठा रहे हैं उसको रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

हमारे यहां राजस्थान में दो साल पहले 1981-82 में राइस प्रोक्योरमेंट का एक मसला था जिसमें राइस मिल्स से मिली-भगत होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट के सिविल सप्लाइज के कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर आदि बड़े अधिकारियों ने राइज को प्रोक्योरमेंट से एग्जैस्ट कर

दिया था यह कह कर कि उसमें टूटे हुए दाने हैं। 158 रुपए क्विटल में सरकार खरीदती थी जबकि उसी राइस को उन लोगों ने 500-600 रुपए क्विटल के भाव पर बेचा। उसमें व्यापारियों ने 3 करोड़ का फायदा उठाया था जिसमें सरकारी अधिकारियों की मिली भगत थी। इस मामले को मैंने यहां पर नियम 377 के अन्तर्गत भी उठाया था लेकिन आज तक उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राजस्थान के मंत्री ने भी इस बात को विधान सभा और बाहर प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि इस प्रकार की मिली भगत से सरकारी अफसर और व्यापारी सारा पैसा खा गए परन्तु आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस प्रकार के जो लोग हैं जो सरकार की प्रोबियोमेंट पालिसी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं उनके खिलाफ जब तक आप सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक आपकी यह व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल पायेगी। आज इस देश में होडिंग, ब्लैक-मार्केटिंग, स्मगलिंग—इस प्रकार के जो सारे घंघे हो रहे हैं जिने ब्लैक-मनी बढ़ रहा है उनको रोकना इस सरकार का काम है। आपके महकमे को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि बड़े-बड़े व्यापारी एसोशियल कमोडिटीज की होडिंग न कर सकें ताकि उनकी ईजी एवेलिविलिटी बनी रहे और फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा उनका वितरण सुचारु रूप से किया जा सके। आज बड़े पैमाने पर जो प्राइस राइज हो रही है उसको भी चैक करना चाहिए। छोटे-मोटे कानूनों से कुछ नहीं होगा, इन बदमाशों को भारी पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस देश के 70 करोड़ लोगों के भविष्य को यदि उज्ज्वल करना है तो जिन प्रकार से आप एफ सी आई को 800/- (आठ सौ) करोड़ की सब्सीडी देते हैं उसी प्रकार से यदि दूसरी एसोशियल कमोडिटीज के लिए भी 500-700 करोड़ की सब्सीडी देने की आवश्यकता हो तो वह भी देनी चाहिए लेकिन इन चीजों को मुनासिब कीमत पर आम जनता को उपलब्ध किया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ मेरा आपसे यह भी आग्रह है

कि बड़े-बड़े पूंजी पतियों पर जो पैसा बकाया है सख्ती के साथ वसूल किया जाना चाहिए। उनमें आप जो 6 परसेंट मूद चार्ज करते हैं वह भी कम है क्योंकि किसानों से तो आप 12 और 14 परसेंट सूद लेते हैं इसलिए इनसे तो पीनल इन्ट्रेस्ट चार्ज होना चाहिए और साथ ही साथ सजा देने का प्रावधान भी होना चाहिए ताकि वे ऐसे काम करने की हिम्मत न कर सकें।

इन शब्दों के साथ मंत्री ने जो बिल यहां पर प्रस्तुत किया है उसका समयन करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद): मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एसोशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन करने के लिए यह बिल पेश किया है, जिसकी मंशा सप्लाई का बढ़ाने की है। सवाल यह है कि यह कानून 1955 में लागू हुआ और फिर संशोधन लगाया जा रहा है। लगता है कि माननीय मंत्री जी सम्पूर्ण बिल पेश नहीं किया है, यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर संशोधन पेश किया जा सकता है।

सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कानून तो बना हुआ है, लेकिन फेयर प्राइस शाप्स पर अनाज नहीं है, चीनी नहीं है खाद्य तेल नहीं है। माननीय मंत्री जी की बहुत इच्छा है कि कुछ हो, लेकिन पिछले कुछ लोगों ने नहीं किया है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कंसे होगा? सरकार मशीनरी का ढांचा इस प्रकार का है, जैसा कि माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, कहीं पर सामान आता है और कहीं पर बिकता है। घटियां गेहूं यहां बिकता है और बढ़िया गेहूं दूसरी जगह बिकता है। लोक सभा के माननीय सदस्यों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जो राशन की दुकानों पर से समान खरीदते हैं। कभी गेहूं नहीं है तो कभी चावल नहीं है। फूड कारपोरेशन आफ इंडिया की लाइन आफ सप्लाई होनी चाहिए। पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक क्विटल में पांच किलो सामान कम है। कुछ अनाज बर्बाद भी हो रहा है। कम से कम आपकी मिनिस्ट्री और रेलवे में तालमेल होना चाहिए ताकि लाइन

बाफ सप्लाई मँटेन रह सके। मंहगाई को रोकने के लिए आपको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जा कर समस्या का समाधान हो सकता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जैसा कि ब्यास जी ने भी कहा है कि डिस्ट्रिब्यूशन को मेनटेन करने के लिए दंड का प्रावधान बिल में होना चाहिए। आपने कहा है कि यदि कोई व्यापारी पैसा न दे और उतना ही पैसा यदि बैंक में डिपोजिट कर दे, तो इससे तो वह ब्याज वहाँ से प्राप्त करता रहेगा। छः प्रतिशत ब्याज नहीं यह कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए। यदि यह नहीं होगा तो काला बाजार की मनोवृत्ति जिस प्रकार से बढ़ रही है, वह बढ़ती जाएगी उसको आप रोक नहीं पायेंगे। सरकार प्रति महा 1.5 लख मिलियन टन अन्न का वितरण कर रहा है। खाद्य तेल की आवश्यकता 35 लाख टन की है, जिसमें से 25 लाख टन आप उत्पादन करते हैं और 10 लाख टन आप बाहर से मगाने को सोच रहे हैं। सरसों के तेल का यह हाल है कि कहीं 16 रु० 18 रु० और कहीं-कहीं पर 20 रु० किलो मिल रहा है। डालडा वनस्पति की स्थिति भी यही बनी हुई है। दो दिन बाजार कमजोर हुआ और तीन-चार दिन के बाद भाव फिर बढ़ गए। सप्लाई पूर्ण न होने की वजह से भाव बढ़ जाते हैं, जिससे उपभोक्ता पर इसका असर पड़ता है। चीनी का हाल यह है कि चीनी की पंदावार होती है और किसान को उनकी लागत का मूल्य भी नहीं मिलता है। इस ओर भी किसी प्रकार का सामन्जस्य नहीं है।

जहाँ तक ग्रामीण अंचलों का सवाल है, वहाँ आपने आवश्यक वस्तुओं के लिए कितनी दुकानें खोली हुई हैं। मेरा ख्याल है कि नम्बर नगण्य ही होगा। कसबों में भी नहीं है। यह ठीक है, कि लोगों को आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने का आपका कर्तव्य है। लेकिन एक बात आपको गौर करनी चाहिए, आप कृषि वस्तु की कीमत कुछ देते हैं, लेकिन जब किसान को जरूरत पड़ती है तो उसको उस दाम में उपलब्ध नहीं होती है। ये

सारी चीजें ऐसी हैं जिन में सामंजस्य और ताल-मेल बनाने की आवश्यकता है खास तौर से ग्रामीण अंचल के लोगों के लिये अधिक से अधिक सस्ते गल्ले की दुकानें खोलें जिस से उन्हें सस्ते दामों पर चीजें मिल सकें। यह भी ध्यान रखा जाए कि दुकान गांव के नजदीक हो, ऐसा न हो कि दस-बीस मील के दायरे में एक दुकान खोल दी जाए और सारे गांवों को उस से लगा दिया जाए। कानून लागू करने में कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिये। जो आवश्यक चीजों में मिलावट करते हैं या चीजों को उपलब्ध नहीं होने देते—उन के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इस लिये दण्ड का प्रावधान मजबूत होना चाहिये जिस से उन दिमागों में यह डर पैदा हो कि अगर वे गलत काम करते हैं तो उन को सजा मिलेगी।

यह संशोधन अवश्य होना चाहिए, इस लिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री बनारसी दास (बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मकसद बहुत सीमित है, सरकार का जो पैसा बकाया है उस को लेंड रेवेन्यू की तरह वसूल करने का प्रावधान इस बिल के अन्दर किया गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आवश्यक वस्तुयें उपभोक्ताओं को उचित दामों पर उपलब्ध हो रही हैं? सब से बड़ी जरूरत की चीज अनाज है, जिस को 151 रुपये प्रति क्विंटल पर हर प्रदेश में सरकार की तरफ से वसूल किया गया, लेकिन फ्लोर-मिल्स को फूड कारपोरेशन ने वहाँ गेहूँ 218 रुपये क्विंटल पर दिया, यानी 67 रु० प्रति क्विंटल का मुनाफा कमाया—इस तरह से सरकार खुद प्राफिटीयारिंग करती है। कन्ज्यूम्स को जो अनाज सस्ते दामों की दुकानों से दिया जाता है, मैं समझता हूँ मेरे सामने बैठे हुए मित्रों को उन दुकानों से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। कोई भी व्यक्ति यदि यह चाहता है कि उस का स्वास्थ्य ठीक रहे, वह इन असंनिश्चल सप्लाईज की दुकानों से गेहूँ नहीं खरीद सकता, वहाँ ऐसा गेहूँ सप्लाई होता है

जो जानवरों के भी खाने के योग्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बुलन्दशहर से आता हूँ वह ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश में एक तिहाई गेहूँ सप्लाई करता है। फूड कारपोरेशन के लोग उस गेहूँ को गीला करते हैं, उस में रेत भरते हैं, जिस वक्त आडिट होगा—पता नहीं उस वक्त कौन सी सरकार होगी। प्रायः कर के उस को राइट-आफ किया जाता है। कुछ समय पहले श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि 22 अरब रुपया हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर बंड-डेट है। उन पूंजीपतियों पर तो 22 अरब रुपया बंड-डेट है, लेकिन कोआपरेटिव्स के जरिये जो किसानों को लोन दिया जाता है, उस की रिकवरी लैंड—रैवेन्यू की तरह से होती है। आज जैसे रेपसीड आयल जाता है, जिस को हम विदेशों से इम्पोर्ट करते हैं लेकिन वे वैगन्ज बाहर की बाहर चली जाती हैं, लोगों तक वह माल नहीं पहुंच पाता। इस लिए आवश्यकता यह है कि जब भी कोई कानून बनाया जाय तो उस की एन्फोर्समेंट मशीनरी भी होनी चाहिये। आज हकीकत यह है कि इस देश में सब से बड़ी बीमारी इन्स्पेक्टराइटिस की है, जितने इन्स्पेक्टर्स बढ़ते हैं उतने ही चीजों के दाम बढ़ते चले जाते हैं। जितनी पीनल पावर्स आफ इन्स्पेक्टर्स को देते हैं उतनी ही उन की महामारी, आप उस को दस्तूर कहिये, कमीशन कहिये या जो भी कहिये, दुकानदारों के यहां बंध जाती है जिस की वजह से लोगों को एसेन्शियल चीजें नहीं मिलती। इस का एकमात्र इलाज है—कन्ज्यूमर्स मूवमेंट स्वस्थ लाइन्ज पर आर्गनाइज किया जाय। दो-दो चार-चार हजार कन्ज्यूमर्स मिल कर अपनी सोसायटी बनायें और उन के जरिये एसेन्शियल कमोडिटीज का वितरण हो। मुझे अपनी स्टेट का अनुभव है और मैं खुद भी शासन में रहा हूँ—कोआपरेटिव डिपार्टमेंट भी आज करप्शन का एक पर्यायवाची शब्द बन गया है। बल्कि मैं तो यह देखता हूँ—जब चीजें कम होती हैं, कुछ हद तक आप का एसेन्शियल सप्लाईज डिपार्टमेंट

काम करता है, लेकिन जहां चीजें मार्केट में आती हैं, तो जैसे सुपर बाजार हैं—वहां दालों की कीमतों या तेल की कीमतों और आम बाजार में इन चीजों की कीमतों में कोई विशेष फर्क नहीं होता है।

15.00 hrs.

[SHRI R.S.SPARRROW in the Chair]

जहां तक क्वालिटी का सवाल है, जितनी भी फेयरप्राइस शाप्स दिल्ली में हैं, उनकी जांच कीजिए कि वहां पर कौसी क्वालिटी की चीजें मिलती हैं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक फेयर प्राइस शाप की मिलने की कीमत 20 हजार रुपये है और कोई भी दुकान बिना 20 हजार रुपये दिये नहीं मिल सकती। अब वह दुकानदार जो 20 हजार रुपये दे कर फेयर प्राइस शाप लेता है, जिस तरह से कन्ज्यूमर्स को मुनसिब दामों पर चीजें दे सकता है। एक बात यह भी कहता हूँ कि जो लोग फ्लोर मिल में अपना सूजी, मंदा और आटा बनवाते हैं, उन को मार्केट से गेहूँ क्यों नहीं खरीदने दिया ताकि किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। 151 रुपये प्रति क्विंटल की प्राइस पर उन को गेहूँ दिया जाता है और इस तरह से गवर्नमेंट ने गेहूँ की कीमतों को डिप्रेस कर दिया। अगर मिलओमर्स बाजार से गेहूँ खरीदते तो एक कम्पटीशन होता है और उस में किसानों को अच्छे दाम मिल सकते थे लेकिन अब तो किसानों को सस्ते दामों पर अपना गेहूँ बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस के अलावा 67 रुपये पर क्विंटल आप मंदा और सूजी पर ले लेते हैं और जो रिजल्टेंट आना होता है, उस को ट्यूमेंन बीग्स को खाने के लिए देते हैं, जो कि जानवरों का खाना है। जरूरत इस बात की है कि एक व्यवहारिक दृष्टि से एसेन्शियल सप्लाईज को मुहय्या करने की नीति पर सरकार विचार करे और जो फिनिशगुड्स हैं, कन्ज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए बीच में कितनी एजेन्सीज आ जाती

हैं, मेरा कहना तो यह है कि किसी भी सूरत में जो माल एक्स मिल से कन्ज्यूमर तक पहुंचता है, उसका मार्जिन 30 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है जैसा अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि 6 परसेंट आप को रियलाइज करना है सूद लेंड रेवेन्यू पर जबकि मामूली आदमी को 18 परसेंट पर आप देते हैं और व्यापारी 18 परसेंट पर देता है, तो फिर यह 6 परसेंट की रियायत उन लोगों के लिए क्यों है जहां पर सरकार के ड्यूज बाकी हैं। इस को आप को बढ़ाना चाहिए। मेरे मित्र कहते थे 50 परसेंट लेकिन मेरे ख्याल से यह कनफिसकेटिव होगा। मैं यह चाहूंगा कि कम से कम जो बैंक का रेट है, वही इन से भी लिया जाए।

एक चीज यह भी कहना चाहूंगा कि कन्ज्यूमर भूवमेंट को हैल्दी लाइन्स पर चलाने के लिए गवर्नमेंट प्रशिक्षण दे और सोसाइटीज को आर्गनाइज करने के लिए कन्ज्यूमर्स को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि एशेंसियल चीजें लोगों को सही दामों पर मुहय्या हो सकें।

साथ ही इस चीज पर भी गौर किया जाए कि लोगों को सही चीजें मिलें। दाल में एक इस तरह का दाना आता है, जिससे वेरी-वेरी होती है। इस तरह से अभी कुछ दिन पहले अखबारों में आया था कि फूड कारपोरेशन गेहूं को प्रीजर्व करने के लिए जो केमीकल इस्तेमाल करती है, उससे केन्सर होने का खतरा है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जो एशेंसियल चीजें मिलें, वे लोगों को ठीक से मिलें और ठीक दामों पर मिलें।

इसी तरह से आप का जो टेक्सटाइल का सेक्शन है, उस में 102 से ज्यादा ऐसी मिलें हैं, जिन के लिए आप का एन०टी०सी एक तरह का अस्पताल बन गया है, पूंजीपतियों के सिक मिलों को ठीक करने के लिए वहां भेज दिया जाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट यह सोचे कि ये मिल सिक क्यों होते हैं और जो इन को सिक करते हैं, उन को मोसा के

अन्दर गिरफ्तार किया जाए। सिक करके एक बच्चे को गवर्नमेंट की गोद में दे देते हैं, जोकि ठीक बात नहीं है। यह जो बिल यहां पर आया है, यह इंस्पेक्टरों की जेबें भरने के लिए है और आज बदकिस्मती यह है कि करप्शन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और जब तक पूरी तरह से कन्ज्यूमर आन्दोलन नहीं होगा, यह खत्म नहीं होगा। मेरा कहना तो यह है कि बजाए दुकानदारों के सजा इंस्पेक्टरों को दी जानी चाहिए जोकि एन्फोर्स करने वाले हैं। अगर चीज वक्त पर नहीं मिलती है, तो उन को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये लोग कमीशन खा जाते हैं और चीजें नहीं मिलती हैं। अन्त में मैं यही कहूंगा कि एक तो-एकतो रेट आफ इन्ट्रेस्ट बढ़ाया जाए और दूसरा यह कि एशेंसियल चीजों को मुहय्या कराने के लिए सही व्यवस्था की जाए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। इस बिल का समर्थन करते हुए, मंत्री जी से मेरा अनुरोध होगा कि वे सूद की दर को और ज्यादा बढ़ायें। पैसों वालों और पूंजीपतियों के प्रति नमी की नीति अपनाना कभी भी मुनासिब नहीं है। जिसके पास पैसा है उनसे पैसा लेना चाहिए, जिनके पास पैसा नहीं है, उनसे आप कैसे पैसा ले सकते हैं। इसलिए सूद की दर जरूर बढ़ाई जाए। उस सदन में भी यह मांग की गई थी और इस सदन में भी सभी सदस्यों ने इस बात की मांग की कि सूद की दर बढ़ानी चाहिए।

अभी मैं अपने इलाके पटना से लौटा हूँ। इस बार गेहूं की फसल अच्छी हुई है। मुझे पटना में मालूम हुआ कि पूर्णिया जिले तथा कुछ और जिलों में आजकल गेहूं का भाव 50 रुपये मन हो गया है। इसका असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। मंत्री जी, स्वयं जानते हैं कि जहां-जहां इस तरह से कीमते गिरती हैं वहां लोग सपोर्ट प्राइस से नीचे बेचने लगते हैं। आप वहां गेहूं को सपोर्ट प्राइस पर खरीदने की व्यवस्था कीजिए। नहीं तो यह

बीमारी फैलती जाएगी और किसानों को कम कीमत पर अनाज बेचने को मजबूर होना पड़ेगा। किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसकी गारन्टी सरकार को करनी चाहिए।

दूसरी बात सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित है। इसमें राशन कार्ड देने की बात भी शामिल है। दिल्ली में भी ऐसे हजारों लोग होंगे जिनके पास राशनकार्ड नहीं हैं। ऐसे भी हजारों लोग होंगे जिनके पास जाली राशनकार्ड हैं। आप जाली राशन कार्डों को काटिये, उनको काटने में कोई कमजोरी नहीं दिखाई जानी चाहिए। लेकिन जिन गरीब लोगों के पास राशन कार्ड न हों उनको राशन कार्ड देने की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

अब मैं आपको अपने क्षेत्र पटना का उदाहरण देता हूँ। पटना में एक मुगलपुरा मोहल्ला है जो कि गरीब मुसलमानों का मोहल्ला या वाड है। बहुत मुसलमान वहाँ रहते हैं। वहाँ पर एक मीटिंग हुई और मेरे पास शिकायत पहुंची कि वहाँ बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं। इसमें दिक्कत यह होती है कि मान लीजिए किसी एक के नाम में कार्ड है, उसके चार लड़के हो गये और वे चारों अलग-अलग हो गये। उनके नाम से राशन कार्ड नहीं बन पाते। उन लड़कों के भी बच्चे हो गये, उनके कार्ड भी नहीं बनते। तीन-तीन, चार-चार भाई हैं। वे हफ्तावारी राशन लेते हैं। उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। जो चलता-फुरता होता है या मुखर होता है, उसका राशन कार्ड बन जाता है। जो चुपचाप रहता है, उसका राशन कार्ड नहीं बन पाता। सभापति जी, राशन कार्ड की सचमुच में उन लोगों को जरूरत है जो मंहगी चीजे नहीं खरीद पाते हैं। आप ऐसे लोगों को राशन कार्ड दीजिए जो कि वास्तव में गरीब हैं और उन्हें चीजे राशनकार्ड पर सप्लाई कीजिए।

एक जमाने में केरल और पश्चिम बंगाल में राशन में 18 और 20 चीजे तक दी जाती थीं।

यह सभी जगह पर नहीं होती थीं। बहुत-सी जगहों पर तो राशन में चार-पांच चीजे ही सप्लाई होती हैं। आप सचमुच में उन्हें राशन कार्ड अवश्य दीजिए जो बाजार से मंहगी चीजे नहीं खरीद सकते हैं।

किसी की चोर बाजारी की शिकायत पर आप किसी दुकानदार का नाम काट देते हैं। मुकद्दमा चलता है। उस पर मुकद्दमा चलाएँ। कानून के तहत मुकद्दमा बहुत दिनों तक चलता रहता है, कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, जैसे समरी ट्रायल कई जगह हुआ। बिहार शरीफ में हुआ, जमशेदपुर में हुआ, समरी ट्रायल के जरिए जल्दी फैसला करने से जो उपभोक्ता हैं, उनको कठिनाई नहीं होगी। दुकान कटी, तुरन्त सजा हुई, दूसरी दुकान मिली, इससे दूसरों पर भी अच्छा असर पड़ता है। नहीं तो महीनों तक मुकद्दमा चल रहा है, दुकान कटी हुई है। अगर आपकी कृपा हो गई तो दूसरी दुकान में टैग कर दिया। उसमें भी लोगों को दूर जाने में कठिनाई होती है। इसमें उस दुकानदार को भी चोरबाजारी करने का मौका मिल जाता है। इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोग पकड़े जाएं उनके खिलाफ तुरन्त ही कार्यवाही होनी चाहिए। जल्दी ही दूसरी दुकान दी जाए। इससे लोगों को कठिनाई नहीं होगी। अभी बनारसी दास जी ने ठीक ही बताया है कि इंस्पेक्टर का महीना बंधा रहता है। इसलिए दुकानदार बेचारा ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

अंत में मिलावट के बारे में कहना चाहता हूँ। इस सिलसिले में भी समरी ट्रायल की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को कम दें लेकिन स्वस्थकर भोजन दें। मिलावट एक राष्ट्रीय अपराध है।

श्री मूलचन्द उगा : स्वास्थ्य मंत्री जी से कहिए।

श्री रामानन्द शर्मा : सरकार तो एक ही है। सब लोग आपस में बैठकर इस बारे में

व्यवस्था करें। अंत में मैं इस बिल का समर्थन करते हुए इतना ही कहूंगा कि मूद की दर को आप जरूर बढ़ा दीजिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। जैसा कि सभी सदस्यों ने कहा है, मैं भी इसी राय का हूँ कि डिपाजिट्स और पेमेंट्स के एरियर्स हैं, उनका रेट आफ इंटरैस्ट 6 परसेंट से बढ़ाकर 15 परसेंट किया जाना चाहिए। साथ में यह भी होना चाहिए कि जब रिफंड करने की आवश्यकता हो तब सेंटर गवर्नमेंट को भी 15 परसेंट रेट आफ इंटरैस्ट रखना चाहिए। क्योंकि पार्टी अपील कर देती है, अपील करने के बाद सबसेसफुल हो जाती है तो सबसेसफुल होने के बाद अमाउंट रिफंड करने का जो प्रावीजन है तो इसमें भी 15 परसेंट इंटरैस्ट गवर्नमेंट को रिफंड कर देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी तो ग्रामीण क्षेत्रों में एबेलेबल होती है। लेकिन सुदूर क्षेत्रों में गेहूं रेगिस्तानी क्षेत्रों में नहीं पहुंचता। कोई भी तेल वहां उपलब्ध नहीं होता। कैरोसिन आइल उपलब्ध नहीं होता और कपड़े के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ब्लाक लेबल पर एक दुकान आपने मुकरंर की हुई है। हमारे जिले में आठ पंचायत समितियां हैं और उचित दर की आठ ही दुकानें कपड़े की वहां पर हैं। जो मार्किट रेट है, वही रेट वहां पर है। उसमें कोई भी अन्तर नहीं है। कपड़ा ऐसा रफ मिलता है जिसको कोई भी लेना पसन्द नहीं करता। दो साल पहले कपड़ा अच्छा मिलता था लेकिन अब तो इन्फिरियर क्वालिटी का मिल रहा है। फेअर प्राइस शाप्स का कोई भी दुकानदार ईमानदारी से काम नहीं करता। ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज, जो रियल चार्जेस हैं, उनका पचास परसेंट मिलते हैं। जितने मिलने चाहिए, उतने नहीं मिलते हैं। यह प्रोविजन होना चाहिए कि कलैक्टर की रिक्मण्डेशन के आधार पर मिलें। राजस्थान में विशेषकर मेरे क्षेत्र में जितनी भी फेअर प्राइस शाप्स चल रही है, उनमें

ईमानदारी नहीं है। उसका बड़ा खराब असर लोगों पर पड़ता है। जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, वह भी नहीं कर सकता। रेगिस्तानी क्षेत्र में तो कठिनाई यह है कि कोल नहीं मिलता। इसकी वजह से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर जिले में या डिवीजनल हैड-क्वार्टर्स में कोई भी एल०पी०जी० की एजेंसी नहीं है। इसी प्रकार जलाऊ कोयले की भी व्यवस्था नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पेड़ों को न काटा जाए तो जलाऊ कोयले के लिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां पर लकड़ी का भयंकर संकट है, वहां व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इन्सपैक्टर्स के बारे में कहना चाहूंगा। इन्सपैक्टर्स अगर गांव में जाते हैं और दस केसेज मिल जाते हैं तो अच्छी रिश्तत उनको मिल जाती है। कोई एक-आधा मामला पुट-अप कर देते हैं और चालान भी प्रस्तुत कर दिया जाता है अन्यथा उन दस केसेज को इल्लीगल ग्रेटीफिकेशन करके समाप्त कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भ्रष्ट इन्सपैक्टर्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। इन्सपैक्टर्स और डिस्ट्रीक्ट लेबल के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो उनका हौसला बढ़ जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब आदमियों की मदद के लिए है। लेकिन शहर के गरीब और अमीर दोनों को इसका लाभ मिल जाता है। परन्तु गांवों के गरीब लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस लिए हमें इन लोगों को लाभ पहुंचाने की दिशा में विचार करना चाहिए। दूसरे, आपका कहना है कि आपके पास 12 मिलियन टन बफर स्टॉक उपलब्ध है। लेकिन जब आपके ऊपर बंगाल का ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसका 20 प्रतिशत हिस्सा तो उनके पास चला जाता है और शेष 80 परसेंट हिस्सा देश के दूसरे राज्यों में बांटा जाता है। हमारी स्टेट पहले तो मांग ही बहुत कम करती है, लेकिन जितनी मांग करती है उसका सिर्फ 30 परसेंट भाग भी उसे नहीं मिलता। कई हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां उसकी मांग का दस परसेंट भाग भी नहीं दिया जाता। इसलिए जब हम लोगों को भीप

रेट पर अनाज उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो जहां ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल नहीं मिलता, सहरों में तो मिल जाता है, हमें उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए और बफर स्टॉक को 12 मिलियन से बढ़ाकर 20 मिलियन टन कर देना चाहिए और इसके साथ-साथ जितने हमारे यहां पिछड़े क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, पहाड़ी भू-भाग है अथवा ट्राइबल एरियाज हैं, वहां के लोगों को आगे लाने के लिए अधिक अनाज भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए, उन क्षेत्रों में वनस्पति की पूरी व्यवस्था हो, तेल उन लोगों को उचित मात्रा में मिल सके और दूसरी तमाम सुविधाएं मिल सकें, जो आवश्यक हैं। यदि हम उन लोगों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचा पायें तो वे व्यक्ति सही मायनों में लाभान्वित होंगे और इस बिल को लाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है, हम उसमें सफल होंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul) : Mr. Chairman, Sir, the Bill was introduced by the able and efficient Minister — although the Minister has a gigantic personality — The Bill is a very insignificant one. I know the Minister is a great man and I know him for a very long time. The Bill is not going to serve any purpose. This is what I mean by the expression 'insignificant bill'. I am, however, extending my support to the passing of this Bill. The rate of interest had been discussed by many honourable Members and they all felt that it was too low. I would recommend that the rate of interest be fixed at 15 to 18% and not the one as enumerated in this Bill.

Sir, this country is affected by a cancer disease. This Bill is going to be used as an external medicine. But, Sir, the cancer requires operation. Sir, they are just putting certain tablets required for the headache in the place of operation. That is not sufficient to cure the disease which is not less than a cancer in this country.

Sir, the hon. Finance Minister himself admitted last time in question put here in which, — I also participated in the discussion he admitted that the inflation was being contained. We appreciated the Government

for containing the inflation at 8.8%. At the same time he also admitted in this House that the price rise was not controlled; he was not responsible for controlling or for stabilisation of the prices of essential commodities. This is a very sorry state of affairs which had been expressed by the hon. Minister.

I would like to point out to the hon. Minister that according to the 20-Point Programme, each and every village should have been provided with a fair price shop. In my Constituency, not less than 2,500 villages are there. But, most of the villages are not provided with fair price shops. I request the Government to provide the fair price shops to all the villages.

Take the price level prevailing in the year 1976 to 1979 and compare it with the present rate of price level prevailing in this country in the year 1983-84.

	1976-1979.	Present level 1983-84
Gingelly Oil	Rs. 7 per kilo	Rs. 22 per kilo.
Coconut Oil	„ 18 „	„ 40 to 50 „
Groundnut Oil	„ 7 „	„ 20 per kilo.
Dal	„ 3 „	„ 7 „
Imli	„ 3 to 4 „	„ 10 to 12 „
Mustard Oil	„ 9 „	„ 18 a kilo.
Ordinary rice per kilo in the past was Rs. 1.50 to Rs. 1.75 whereas now it is Rs. 3 to Rs. 4.50 per kilo. The fine quality of rice is Rs. 7 to Rs. 8 per k.g. Ghee in the past was Rs. 16 to Rs. 18 per k.g. whereas now it is Rs. 40 to Rs. 50 per k.g. So, also is the case with 'dhanias' and dry chillies.		

Sir, the palm oil is not available in Tamil Nadu. I call upon the hon. Minister with all sincerity and affection that he may talk to the Tamil Nadu government to make available palm oil in the villages. Even I could not get palm oil in a village of my constituency. Then, Sir, the fair price shop people cheat the common man by giving less quantity. The public is being cheated both in terms of quality and quantity as well.

Sir, earlier, Dalda was Rs. 7 per k.g.

Now it is Rs. 18 per k.g. Sugar was Rs. 2 per k.g. Now it is Rs. 5 per k.g. I want to draw the attention of the Chair in particular to Horlicks. In 1976 it used to be Rs. 11 per k.g. and Rs. 5.50 per half k.g. Now it is Rs. 39 per k.g. Rs. 18.50 per half k.g. Milk in Delhi was sold for Rs. 0.65 per litre and now it has been enhanced to Rs. 1.65 per litre. I do not know whether government defined cloth as an essential commodity. Its price should also be contained.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Which cloth ?

SHRI K. MAYATHEVAR : All cloth including handloom and cotton cloth. Sir, there should be death sentence for hoarders, profiteers, black-money holders, smugglers and anti-social elements. In the year 1973 I spoke on this subject calling upon the government to give death sentence and life imprisonment for adulteration of medicines. It is high time to introduce death sentence punishment for smugglers, hoarders and blackmarketeers otherwise the prices cannot be controlled.

Sir, today the fixed income group people are not able to make both ends meet and no useful purpose will be served by granting additional dearness allowance instalments and paying enhanced emoluments every year. I do not think that the Central Government and the Tamil Nadu Government are interested in controlling the prices. You are putting your heads together for electoral alliance ; that is very dangerous. It is not that important. Both of you should apply your mind and might to control the prices, otherwise you will be thrown out of power.

Many hon. Members have been continuously pointing out the malpractices in the fair price shops. In these shops, sugar, kerosene, palm oil, rice etc. are being smuggled without any exception. I wrote to the District Collector in my constituency, and they raised certain shops, and could find some shortages, some pilferage etc. But no action was taken. In fact, many of the concerned officials are receiving money from those shopkeepers, and they allow them to indulge in all sorts of malpractices and do not take any action. In view of this, there is need to appoint very honest vigilance officers. There are certain vigilance

officers to look after the affairs of the distribution of essential commodities, but are they really honest ? At least half of them are not honest.

I have already told you about the present prices level in Tamil Nadu and other places. The prices in Andhra Pradesh are lower than the prices in Delhi or Tamil Nadu. Whereas we can get rice like Nellore rice or the Chittoor rice at Rs. 2/-per kilogram in Andhra Pradesh, the price for the same in Tamil Nadu is Rs. 7.50 per kilogram. Whereas we cannot get good meals for less than Rs. 6 or Rs. 7 in Tamil Nadu, the same is available for Rs. 3/-in Andhra Pradesh. The Tamil Nadu Government should, therefore, follow the footsteps of Andhra Pradesh Government and reduce the prices of all essential commodities.

In this connection, I would like to know what quantity of rice you are allowing to the Tamil Nadu Government for the distribution system. Further, have the Tamil Nadu Government implemented proper distribution system ? Certainly not. Whereas the District Collector of Madurai and other officials announce every week that the Government policy is to distribute 29 kilograms of rice every month, actually only two kilograms were being supplied. I had raised this question in a supplementary question last month here. The hon. Minister said that he was not responsible for that. The Central Government makes the allotment and it was for the State Government to ensure proper distribution. But if they do not do that, is it not your duty to set it right ? You must see that the essential commodities were distributed properly. Particularly, the distribution system in Tamil Nadu is in a very bad shape. First, you must ensure that sufficient quantity of rice, kerosene, sugar etc. is supplied by the Central Government, and secondly, you must ensure that these are being supplied to the card holders. This at present is not being done there. The black-marketeers must be brought to book.

The Chief Minister of Tamil Nadu has been demanding allotment of more rice for which he went on hunger strike on 6th April, 1983 for five hours at Madras beach. He was called by you and the Agricultural Minister to come on 10th April, but he could actually come on the 16th April. He

met you and not demanded more rice for Tamil Nadu. Did you supply more rice? No. He also said, 'no', You should satisfy the Tamilnadu Government and Tamil people. When the CM came for discussions with the Central Government, with the Central Minister, he met the Press in Tamilnadu House. He said that he thought of demanding rice from the Central Government. But after having discussions with the Government and the Ministers, he felt that Central Government was suffering losses so far as rice is concerned, and hence he did not demand rice. The C.M. said neither he demanded rice, nor the Central Government was willing to supply rice to Tamilnadu. What are the dances that he made? What dialogues did he have? He was demanding rice at Madras in his hunger.—Strike and a film on the same was made, which was running in the cinema theatres in Tamilnadu for 25 minutes. It was being screened permanently to attract people and to cheat the public, in which he had made many allegations against you. Whether you have a CID or not, I do not know. But when he came to you and met you, he did not demand rice. That is what he admitted to the Press. We are having such a bold C.M. in Tamil Nadu.

Whether he demanded or not, we the D.M.K. Partymen want rice. CM alone is not the people of Tamilnadu. He is the CM, he is the guardian of the State, he is the deputy of the people of Tamilnadu without discharging duties to people.

Whether he demanded rice or not, you are governing him. He is very much afraid of the Central Government, for reasons best known to you and to the CM. But because of that man, you should not deprive Tamilnadu people of their rice. Tamilnadu people are also your children, they are also part and parcel of the country. You talk much about national integration and national unity. We are all one. We are all Indians. Therefore, you must serve the Tamilnadu people also, and allot more rice. But you must see that rice is distributed and given to the public and not to the Government alone. These are my main demands.

Sir, I would like to know whether Tamilnadu Government has supplied rice to the Central Pool in 1978-79. In spite of the heavy production in Tamilnadu, i.e. 87 lakh tonnes in 1978-79, 89 lakh tonnes in 1979-80

and 85 lakh tonnes in 1981-82, in Tamilnadu, Tamilnadu Government did not supply or contribute anything to the Central Pool. Still we demand more rice for Tamilnadu. I am ashamed of the Tamilnadu govt., but still we demand rice. I also request that the high price of rice should be reduced considerably to help the common man in the State, the working class and poor people. The 20-Point Programme should be implemented by this Government. If you implement it, people will vote for you and if you don't implement it, people will not vote for you.

With these words, I support this Bill and appreciate the Minister's activities. I call upon him to more potently, more strongly and more vigorously serve the people of Tamil Nadu and India.

AN HON. MEMBER : Ultimately, you have supported it.

MR. CHAIRMAN : Shri Mool chand Daga.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मैं बिल के सम्बन्ध में ही बोलूंगा। इस बिल के बारे में मुझे कुछ बातों की जानकारी करनी है।

"Notwithstanding anything contained in my other law for the time being in force or any contract to the contrary, no court, tribunal or other authority shall grant any injunction or make any order prohibiting or restraining any Government from recovering any amount as an arrear of land revenue in pursuance of the provisions of sub-section (1) "

एक बार पार्लियामेंट ने निर्णय ले लिया कि पार्लियामेंट अपने मामले में सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट अपने मामले में सुप्रीम है। दोनों का अलग-अलग जुरिस्टिक्शन है।

The purpose of this Bill is this—I quote :

"In order to achieve these objectives, the Government has been vested with plenary powers to issue orders, e.g. for regulating production, storage, transport and distribution, for controlling the price etc. Similarly, the Act provides

that if any person contravenes any other order made under Section 3 of the Act, he shall be punishable with imprisonment and shall also be liable to fine.....”

That fine will be recoverable as land revenue. That is the whole thing.

मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपको कुल कितनी रिकवरी कितने साल की करनी है? स्टेट होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, एमेंशियल कामोडिटीज के अन्दर या तो आप कन्विकशन करेंगे या फाइन करेंगे। अगर आदमी फाइन देने की हालत में नहीं है, तो उसको सजा मिल जाएगी। यह एक जनरल सिद्धान्त है।

The man is convicted for four months, and he has to pay a fine of Rs. 500/-. In default, he will be sent to jail.

मुझे मालूम नहीं है, आपने कहा है कि एमेंशियल कामोडिटीज एक्ट के अन्दर लैंड रिवेन्यू रिकवरी की जाएगी। बिल आपने यह कर दिया है— The court will be disallowed; the court will not be allowed to pass an interim injunction.

माननीय सभापति जी आप भी सबोडिनेट लैंसिजलेशन कमेटी के सभापति हैं, आपको पता है कि जनता के सिविल राइट को रोका नहीं जा सकता है। फाइन करने पर आदमी कोर्ट में जाता है और कोर्ट उसे इन्जैक्शन ग्रांट कर देता है। आप कहते हैं कि बिल के अन्दर पेश कर रहे हैं कि कोई कोर्ट आर्डर पास नहीं कर सकेगा, इस पर आपको सोचना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा बिल लाने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? मुझे आप पांच-छः केसेस बताइए, जिससे यह पता चले कि आपको कितना रुपया रिकवर करना है। आपने इन्टरेस्ट लगाया है 6 प्रतिशत, जबकि बैंकों का रेट 18 प्रतिशत का है। स्मगलर्स, ब्लैक मार्केटीयर्स से आप 6 परसेंट का इन्टरेस्ट लगा रहे हैं, फिर भी सरकार में ताकत नहीं है कि वह उनसे पैसा वसूल कर सके। आप यह बतायें कि आप आठ-दस लाख रुपया रिकवर करना है या एक करोड़ रुपया रिकवर करना है। आपने कह दिया—

The Court will be restrained from passing the injunction.

इस प्रकार आप व्यक्ति को आप इन्साफ लेने महरूम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल यह है—

“Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any contract to the contrary, no court, tribunal or other authority shall grant any injunction or make any order prohibiting or restraining any government from recovering any amount as an arrear of land revenue in pursuance of the provisions of sub-section (1)”

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत भ्मा आजाद) : यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी हुआ है।

श्री मूल चन्द डागा : मैं कब कहता हूँ कि नई बात है ?

श्री भागवत भ्मा आजाद : ऐसे बहुत से एक्ट पास हुए हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मैंने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है? आज काल कोर्ट ने यह निर्णय दिया है—सिविल प्रोसीजर कोड में यह हुआ है कि पहले से पार्टी को नोटिस देकर कोर्ट में बुला लेते हैं—

At the time of passing an order the court will give a decision there and then.

आप कोर्ट में उसको जाने दीजिए। फर्स्ट हीयरिंग पर आपको नोटिस जाना चाहिये।

If they find that *prima facie* case is strong, the court will not grant injunction.

मेरी आप से यह रिक्वेस्ट है—आप जो बिल लाये हैं और जो उसका परपज है उस परपज से लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ 6 परसेंट का इन्टरेस्ट लगा रहे हैं जब कि बैंक का इन्टरेस्ट रेट 12 परसेंट है—यह ठीक नहीं है। आपने यह भी नहीं बताया है कि आपको कितने रुपयों की रिकवरी करनी है?

सभापति जी, आपने मुझे पहले कह दिया था कि मुझे बहुत कम समय में बोलना है—इस

लिये अब मैं सिर्फ एक-दो बातें ही करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह कि तार्लुका कमेटीज या डिस्ट्रिक्ट कमेटीज या ब्लॉक लेबल कमेटीज मैंने अपने इलाके में कहीं भी फक्शन करती हुई नहीं देखी हैं। आपकी तरफ से बहुत बड़ी गाइड लाइन्ज स्टेट्स को भेजी गई हैं—आप अपने उत्तर में एक बात बतलाने की कृपा करें—कितनी ऐसी कोआपरेटिव सोसायटीज की दुकानें हैं जो सोसायटी द्वारा न चलाई जा कर उसमें प्राइवेट आदमी काम करते हैं। एक टिन केरोसीन का लेकर जो आदमी गांव में बेचने जाता है उस को आप कितना मुनाफा देना चाहते हैं? शंकर बेचने पर उसको कितना कमीशन देते हैं? आज हो यह रहा है कि जो इन चीजों को गांवों में ले जाकर बेचता है उसको कहा जाता है कि तुमको इस कीमत पर बेचना होगा। वह उस दाम पर बेच नहीं सकता, बाध्य होकर उसको ब्लॉक में बेचना पड़ता है और इस तरह से उन लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करना पड़ता है, क्योंकि आप का मार्जिन बहुत कम है। आपसे पूछते हैं तो आप कह देते हैं कि यह स्टेट सब्जेक्ट है, इस मामले की देखरेख स्टेट करती है। इसलिये आप बतलायें कि आप उनको कितना कमीशन देते हैं तथा इस क्षेत्र में कितनी कोआपरेटिव सोसायटीज और कितनी प्राइवेट एजेन्सीज काम करती हैं? प्राइवेट एजेन्सीज को क्या कमीशन देते हैं और कोआपरेटिव सोसायटीज को कितना कमीशन देते हैं?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, आपके अनुरोध के अनुसार मैं बहुत ही कम शब्दों में बोलना चाहूंगा। जैसा अभी डागा जी ने भी कहा—हम लोगों को भी इसके उद्देश्य और कारणों का पता नहीं चल रहा है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार को पावर मिलनी चाहिये कि उनके राजस्व की वसूली लैंड रेवेन्यू की तरह से हो सके और इसके साथ ही उन्होंने 6 परसेन्ट के ब्याज की व्यवस्था की है। इसके पीछे क्या रहस्य है—कुछ पता नहीं चलता है, कितनी लैंड इन्वाल्ड है, किन लोगों

को इसमें लायेंगे, क्या करेंगे—इनके बारे में बतलायें। आइ० आर० डी० पी० का जो प्रोग्राम है क्या वह भी इसके अन्तर्गत आता है, क्या यह उन लोगों पर भी लागू किया जायगा—यह भी इसमें स्पष्ट नहीं है। डागा जी को भी यह भाषा अटपटी लगी है, उनको भी समझ में नहीं आया है और हम लोगों को भी भाषा कुछ वैसी ही लग रही है।

15.49 hrs.

[DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI
in the Chair]

यह कौन सरकारी भाषा है, जिसमें यह पता नहीं लगता है कि कितनी लैंड पर 6 प्रतिशत के हिस्से से इन्ट्रस्ट लागू करेंगे और इसका तात्पर्य क्या है। आवश्यक वस्तुओं के मामले में कितना कदाचार है, भ्रष्टाचार है, चोरी है, राज्य के खाद्य निगम, भारत खाद्य निगम, इनके कर्मचारियों द्वारा कितना पिलफेज होता है, कितनी गड़बड़ होती है, कितना अनाज सड़ जाता है और दूसरी तरह के कदाचार होते हैं, इसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। बकाया कितना राजस्व है, उस पर 6 परसेन्ट सूद लगाने की बात इन्होंने की है। ठीक है, वह आप लीजिए लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि यह छ. परसेन्ट क्यों रखा है जबकि और जगहों पर इन्ट्रस्ट 10, 12 और 18 परसेन्ट है। मंत्री जी उत्तर देते समय, इस पर भी प्रकाश डालें। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना लाभ होगा और भू-राजस्व पर सूद लेने से कितनी आमदनी होगी, इसकी जानकारी सदस्यों को होनी चाहिए और पूरे देश को मालूम होना चाहिए। जो नौकरशाही सूद वसूल करेगी, वह किसी को छोड़ देंगे और किसी क्लाज में किसी से सूद लेंगे और किसी से नहीं लेंगे क्योंकि उनके द्वारा बनाया हुआ यह एमेंडमेंट है। मैं तो समझता हूँ कि इसका लाभ सरकार को कम मिलेगा और जो सूद वसूल करने वाले हैं, वे ज्यादा लाभ उठावेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार को अगर इससे लाभ होने की आशा है, तो कितने की रिकवरी की वह

आशा रखती है, यह मंत्री जी उत्तर देते समय बताएं, तो बड़ा अच्छा होगा।

जहां तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का सवाल है, सारे देश में आज स्थिति बहुत दुःखद है। आज यही कहा जाता है कि आपूर्ति विभाग में सारा भ्रष्टाचार है और वह भ्रष्टाचार का व्यापार कर रहा है। आज जो तीन, साढ़े तीन लाख जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, उन दुकानों के लिए लाइसेंस लेने के लिए रुपया जमा कराना पड़ता है लेकिन उस रुपये पर उनको कोई इन्ट्रेस्ट नहीं मिलता है। अगर किसी का पर्मिट कंसिल होता है, तो उसके रुपये पर सरकार इन्ट्रेस्ट नहीं देती है। जो लोग दुकान चलाते हैं, उनको कोई लाभ मिले। उनको एक या दो पैसे लाभ की छूट देते हैं। इससे उनका काम नहीं चलता है। सप्लाय आफिसर, सप्लाय इंस्पेक्टर, सर्किल आफिसर और वी०डी०ओ०, नीचे से ऊपर तक के लेबिल के अफसरों के पैसे बंधे होते हैं और चीनी जो है, उसके लिए 10 रुपये पर बैंग लिया जाता है। हर बैंग पर उनको पैसा देना होता है। इस तरह से एक परेलेल सरकार, समानान्तर सरकार भ्रष्टाचार की चल रही है। जब वह चीनी के लिए रुपया अफसरों को देता है तो जन वितरण प्रणाली की दुकान से सब लोगों को चीनी कैसे दे सकता है। 10-20 रुपये पर बैंग उसको देने होते हैं। और वह सब चीनी दुकान पर बेच दें, तो फिर यह रुपया कहां से लाएगा। इसका नतीजा यह होता है कि बहुत सारा माल बाजार में ब्लैक में चला जाता है। इसके लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया कि यह ब्लैक कैसे रुके। मेरी समझ में यह रुक सकता है और इसका एक साधारण सा फारमूला है। सरकार ने डुअल पालिसी चला रखी है। ओपन मार्केट में अगर चीनी सवा छः रुपया बिकती है तो जन वितरण प्रणाली की दुकान पर उसके दाम तीन सवा तीन रुपये हैं। यह जो 3 रुपये का गैप इन दोनों की प्राइसेज में है, तो इससे भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, तो और क्या होगा। अगर ओपन मार्केट की प्राइस में और

सरकारी दुकान की प्राइस में 50 पैसे या 1 रुपये का फर्क रहे, तो फिर यह ब्लैक नहीं चलेगा और आपने देखा ही है कि जनता सरकार के समय में लोगों के पास जितने राशन कार्ड थे, वे सब फेंक दिये थे और किसी को दुकानदार के पास से चीज लेने की जरूरत नहीं थी लेकिन अब तो लोग कार्डों को बाइंड करा के बड़ी इज्जत और हिफाजत से उनको रखते हैं कि शायद चीनी, गेहूं, चावल आदि कोई चीज मिल जाए लेकिन वह मिलती नहीं है क्योंकि ब्लैक में वे सब चली जाती हैं। दुकानदारों को घूस देनी पड़ती है, इसलिए गोदाम से ही बाजार में वह चीज चली जाती है। इसलिए इसको रोकने का एक ही तरीका है। केरोसीन, डीजल, सीमेंट, चीनी सब में डुअल प्राइस पालिसी है, इसको आप खत्म कीजिए। अगर आप यह खत्म कर देंगे तो इनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। फिर किसी को राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। भा जी हमारे बिहार के हैं, वे भी इस बात को जानते हैं। मगर क्या करें, वे तो वही करेंगे जो ऊपर की पालिसी होगी, जो इन्दिरा जी कहेंगी। वे भी लाचार हैं। जब शुगर के दाम बढ़ रहे थे तब दो सौ करोड़ रुपये के घपले की बात थी। उसी में श्री वी०सी० शुक्ला को जाना पड़ा था।

आज हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं। जनता सरकार के जमाने में हर चीज के दाम कम हो गये थे। सीमेंट जहां 30 रुपये बोरे में मिलता था वह आज 70 रुपये बोरे में मिलता है। यह डुअल प्राइस पालिसी की वजह से है। इसी कारण से देश में ब्लैक मार्केट चलती है। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि आप डुअल प्राइस पालिसी को समाप्त कीजिए। अगर आप जनता के प्रति सही मायनों में वफादार हैं तो आपको इस पालिसी को समाप्त करना होगा।

फेबर प्राइस शाप्स से अभी जो कुछ मिलता है वह शहरों में ही मिलता है। शहरों में ही पूर्ति विभाग चीजें सप्लाय करता है। लेकिन शहरों में बहुत बड़ी संख्या में घोस्ट कार्ड बने हुए हैं। अगर आप दुकानों पर छापा मारे तो पायेंगे

कि हर दुकान पर दो-तीन हजार घोस्ट कार्ड होंगे। उन कार्डों पर राशन लेकर ब्लैक मार्किट में बेचा जाता है। यह सरकार की ओर से भी नहीं देखा जा रहा है कि कितने घोस्ट कार्डों पर राशन लिया जा रहा है। यह चीज भ्रष्टाचार को जन्म देने का अवसर पैदा करती है। इसमें किसी का दोष नहीं है, यह व्यवस्था का दोष है। अगर आपकी इस व्यवस्था की जन-प्रतिनिधि यहां आलोचना करते हैं तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जन-प्रतिनिधियों के सुझावों पर आपको अमल करना चाहिए। तभी इन भाषणों का कोई महत्व है, अन्यथा कुछ महत्व नहीं है। हम लोग अपने अनुभवों के आधार पर जो कुछ कहते हैं उस पर आपको ध्यान देकर अमल करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

आपने सुना होगा कि एफ०सी०आई० के गोदामों से दो लाख बोरे गेहूं चोरी हुआ था। मंत्री महोदय को मालूम होगा। एफ०सी०आई० वाले जो गेहूं खरीदते हैं उसमें दवा बगैरहा मिलते हैं। कभी-कभी वे इतनी ज्यादा दवा मिला देते हैं जिससे कि गेहूं सड़ जाता है। वे लोग अपनी चोरी छिपाने के लिए भी यह कह देते हैं कि गेहूं सड़ गया है। क्या आपने कभी किसी को गेहूं की चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया है, किसी पर इसकी जिम्मेदारी डाली है? उन पर जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए आप यहां कोई कानून नहीं लाते हैं। आप इसे कीजिए।

अगर आप जनता को सुविधा देना चाहते हैं तो एक काम कीजिए। जितने भी आपके जन-वितरण की चीजों के दुकानदार हैं उनको सरकारी नौकर मान लीजिए और उन्हें मासिक वेतन दीजिए। जब उन्हें अपनी सर्विस में मान लिया जाए तो उन पर कड़ाई की जाए और कड़ाई के साथ उनके स्टॉक की जांच-पड़ताल की जाए। इससे आपकी पूंति में बहुत सुधार हो सकता है और जो गरीब जनता है, जो गरीबी की रेखा से नीचे के 72 फीसदी लोग हैं, उन्हें

कपड़ा, गेहूं, चावल, चीनी आसानी से मिल सकते हैं।

अगर आपकी नीयत साफ है तो जो मैंने ये तीन-चार बातें कहीं हैं इन पर अमल कीजिए। आप अपने तीन-चार लाख दुकानदारों का वेतन फिक्स कर दीजिए। इससे आपकी वितरण व्यवस्था में भी बहुत सुधार होगा।

अगर मंत्री जी इस बिल का संशोधन करें तो मैं इसका समर्थन कर सकता हूँ अन्यथा मैं इसे जन-विरोधी बिल कहूंगा जिसका कि कोई लाभ नहीं होगा।

16.00 hrs.

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मैडम चेयरमैन, जो बिल सरकार की तरफ से आया है, यह बहुत मामूली सा बिल है। इस पर इतनी चर्चा हाउस में हो रही है। इस बिल को बहुत ही कांप्रीहेंसिव होना चाहिए या और सरकार ने भ्रष्टाचार, चोरी की रोक-थाम के लिए और एरियर्स को वापिस हासिल करने के लिए जो कानून प्रस्तुत किया है, वह इतना ज्यादा सख्त नहीं है। जैसा कि इसमें बताया गया है—

Sub-section (3)—

“Notwithstanding anything contained in any other law for the time in force or any contract to the contrary, no court, tribunal or other authority shall grant any injunction or make any order prohibiting or restraining any Government from recovering any amount as an arrear of land revenue in pursuance of the provisions of sub-section (1).”

मैं इसकी तारीफ करता हूँ और समझता हूँ कि बहुत मुनासिब और मौजू कदम उठाए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही सेक्शन चार में कहा है—

“If any order, in pursuance of which any amount has been recovered by Government as an arrear of land of

revenue under sub-section (1) is declared by a competent court, after giving to the Government a reasonable opportunity of being heard, to be invalid ...”

यह इसमें कहा गया है। इसमें बताया गया है कि कांपीटेंट कोर्ट कर सकता है। नए सिरे से कर सकता है और वह फैसला वापिस जा सकता है, जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई है, उसको सब वापिस हो सकता है। यह नहीं बताया गया कि कांपीटेंट कोर्ट कौन सा होगा। यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह कांपीटेंट कोर्ट कौन सा होगा। सारी कानूनी कार्यवाही में तो वह नहीं आ सकता नार्मल कोर्स में।

जहां तक मैं समझता हूं कि लोगों को आपके महकमे से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन उतनी तबज्जह नहीं दी गई। मिसाल के तौर पर आज सबसे बड़ा सबल मिलावट का है। आज कोई चीज ऐसी नहीं बची है जिसमें मिलावट न होती हो। चावल, गेहूं, चीनी सब में मिलावट होती है। पिछले साल भी एनीमल टैलो का मामला सामने आया, वनस्पति में इसकी मिलावट होती थी। इससे बहुत लोगों की भावनाओं को भी ठेस लगी। आज खाने की चीजों में मिलावट बहुत बढ़ गई है। दवाओं में भी मिलावट हो रही है। हजारों आदमी इसकी वजह से मौत के शिकार हो रहे हैं। सरकार को इस ओर सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फांसी तक की सजा होनी चाहिए। मेरे खयाल से बाकी सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे। अभी तक सरकार ने कोई सख्त कानून नहीं बनाया है। ऐसे जरायम पेशा लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं यह अजं करना चाहूंगा कि फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया प्योब्लिक सरकारी इदारा है। मेरी अपनी रियासत का मुझे तुर्जुबा है कि हम हर साल हजारों टन गन्दुम और चावल

खरीदते हैं। आजाद साहब हमारे जम्मू और श्रीनगर में आयेंगे तो देखेंगे कि गोदामों में हजारों मन इस वक्त सड़ा हुआ और सब—स्टैण्डर्ड गन्दुम और चावल पड़ा हुआ है, जिसे लोग नहीं खा सकते। इस कदर भ्रष्टाचार इस महकमे में है। हम, सरकार को पूरी रकम अदा करते हैं। लेकिन, जब बोरियां खोलते हैं तो हजारों बोरियां ऐसी निकल आती हैं जिनमें कि सड़ा हुआ या स्पूरियस किस्म का चावल और गन्दुम मिलता है। ब्लैक-मार्किट में व्यापारी लोग जो खाने-पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, उनका मुकाबला कैसे किया जायेगा, इस बारे में मैं सरकार से कहना चाहूंगा। मैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसा काफी स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसे एफ० सी० आई० लेने के लिए तैयार नहीं है। कई बार जब सप्लाय कम हुई तो मुश्किल हालात में वही गन्दुम लोगों को देना पड़ा जिससे उनकी सेहत खतरे में पड़ गई। पिछले साल हमारी रियासत में गल्ले की कमी पड़ गई थी और हमने चाहा था कि हमें ओपन मार्किट में खरीदने की इजाजत दे दी जाए। हमने, पंजाब और हरियाणा की मार्किट से सस्ता और अच्छे किस्म का गन्दुम और चावल लिया। यह बिल्कुल गलत बात है कि दूसरे स्टेट से ओपन मार्किट में डायरेक्टली खरीद नहीं कर सकते। यह तरीका न सिर्फ नुकसान देह है बल्कि इन्टर-स्टेट रिलेशन्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है।

PROF. N. G. RANGA : Your Government is free to purchase it ; your Government is permitted to do it.

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इसी बारे में मेरा सवाल भी था। सरकार ने कहा है कि हमने एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अंदर चावल या गन्दुम खरीदने की इजाजत नहीं दी और वह डायरेक्टली नहीं खरीद सकता।..... (व्यवधान) हमारी सरकार के सामने बहुत पहले एक प्रोग्राम था और पालिसी मंटर भी बनाया कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने हाथ में

लिया जाए। बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए यह प्रोग्राम बनाया गया था। दस साल पहले प्लानिंग मिनिस्ट्री ने कमिटमेंट किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम अपने हाथ में लेंगे। 67 परसेंट लोग चंद रुपये कमाकर इस मुल्क में अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं। डी० पी० दर साहब जब प्लानिंग मिनिस्टर थे तो उस समय सरकार ने इस किस्म का यकीन दिलाया था। इतने साल गुजरने के बाद भी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। व्यापारियों को इतनी खुली छूट दे रखी है कि वे अपनी मर्जी के मुताबिक जिस किस्म की चाहे खरीदारी करे और लोगों का खून चूस लें। जब मौसमी हालात खराब होते हैं तो व्यापारी लोग बड़े गोदामों में जमा करके उसको दुगुनी या चौगुनी कीमत पर फरोस्त कर देते हैं।

यह बहुत बड़ा खतरा है और हमें देखना चाहिए कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों की जिन्दगी के साथ इस तरह का कोई सौदा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह कोई लक्जरी आर्टिकल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई इसके बगैर जिन्दा न रह सके। यह वैसी ही जरूरत है जैसे हवा और पानी की एक आदमी को जरूरत होती है। यदि किसी की कमाई दो रुपये या चार रुपये हो तो उसी में उसको खरीद करनी होती है। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग और प्राइस राइज का आज यह हाल है कि चाहे कोई कितनी कमाई क्यों न कर लें, यह अपने आप को नहीं खिला सकता, उसको अपनी पूरी फमिली के सारे मेंबरान को एक साथ लेकर चलना होता है, उनकी जरूरयात को पूरा करना है। तब कहीं वह अपनी जिन्दगी बसर करता है। इस बिना पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार को इस नजरिये से इस पौलिसी पर नये सिरे से सोचना चाहिए। क्या यह सही नहीं रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपने हाथ में लिया जाए और मिडिलमैन या दूसरी जितनी करण्ट प्रैक्टिसेज चल रही हैं, व्यापारियों को कन्सेशन मिल रहे हैं, विदिन डिपार्टमेंट

काम हो रहे हैं, उनके खसूसी लाइसेंस को खत्म करने के साथ आप एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे और एक मसला हल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जहां आपने देश के आवाम के लिए बीस नुकाता प्रोग्राम बनाया है, बहुत अच्छी बात है, हम सरकार के हर अच्छे कार्यक्रम की खुशामदीद करते आये हैं यदि वह कोई गरीब लोगों के भले के लिए कार्यक्रम बनाये। लेकिन जहां तक आपके बीस नुकाती प्रोग्राम का सवाल है और लोगों को बेसिक फौसिलिटीज देने का सवाल है, उसमें सरकार किस हद तक कामयाब रही है, उसका जितना प्रोपागेंडा हो रहा है, रकमात खर्च हो रही है, आप देख लीजिए कि कम कीमत पर लोगों को कितना कपड़ा आज तक मुहैया हुआ है, लेकिन प्रोग्राम में जो यकीन दिलाया गया है, उसका बनिफिट आम लोगों तक कितना पहुंच रहा है। उसकी जिन्दगी की जितनी जरूरयात हैं, कपड़ा, लत्ता, खाने पीने की सारी चीजें, वे किस हद तक उसे मिल रही हैं, खुले मार्केट में, वह आप देख लीजिए। वैसे कागजों में, कमिटमेंट्स में और जुबानी हमारी सारी कार्यवाही में हैं लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं हो रहा है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जहां हमारे ऊपर बड़े-बड़े व्यापारियों का प्रेशर है, चाहे वे शुगर के व्यापारी हों या कपड़े के या हमारे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हों, जिनका कब्जा जमा हुआ है, मैं यह बात महज कांग्रेस आई हुकमरानों के सिलसिले में ही नहीं कहता, बल्कि सारी पार्टियों के सिलसिले में कहता हूं कि हुकमरान पार्टियां आम तौर पर इलैक्शन के दौरान उनसे कुछ फण्डस हासिल करती हैं, चंदा वसूल करती हैं और उसका नतीजा बाद में आम लोगों को भुगतना पड़ता है और उसी की वजह से प्राइस राइज भी हो रही है। जिस ढंग से हमारे यहां हुकूमतें बनती हैं, हम इलैक्शन के दौरान बड़े-बड़े लोगों, सरमायेदारों, बिजिनेसमैन आदि से चन्दा वसूल करते हैं और जिस तरह का हमारा पोलिटिकल सिस्टम बन गया है, उसका ख़ात्मा करने की भी आज बहुत जरूरत

رت ہے۔ لیہا جا مہری گوجاریش ہئ کی این تمام باتوں کا مہنجر رختہ ہوا آپ کوئی کامپری-ہئسب بیل لیکر ہم سدن مہ آریہ اور ہم آپکو یقون دلاتہ ہئ کی آپکے ڈیپارٹمٹ کے بونیا دی سوبار مہ، لوگوں کو جیا دا مونا فا اور فایدا پھوانہ کے لیے آپ جو بھی کام کرے گے، ہم ان تمام کاموں مہ آپسہ کسی ترہ دूर نہیں ہونگے۔ شجییا۔

3

شرعی عبدالرشید کابلی (سری نگر): مینڈ میچرین۔ جو بل سرکار کی طرف سے آیا ہے یہ بہت معمولی سا بل ہے۔ اس پر اتنی جوجاؤس میں جو رہی ہے۔ اس بل کو بھی کامپریہنیر ہونا چاہیے تھا اور سرکار نے بھر شٹا چار چوری کی روک تھام کے لیے اور اپریٹرس کو واپس حاصل کرنے کے لیے بو قانون پرستوت کیا ہے وہ اتنا زیادہ سخت نہیں ہے جیسا کہ اس میں بتایا گیا ہے۔

Sub-section (3) —

“Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any contract to the contrary, no court, tribunal or other authority shall grant any injunction or make any order prohibiting or restraining any Government from recovering any amount as an arrear or land revenue in pursuance of the provisions of sub-section (1).”

میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب اور موضوع قدم اٹھائے گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سیکشن چار میں کہا ہے :-

“If any order, in pursuance of which any amount has been recovered by Government as an arrear of land revenue under sub-section (1) is declared by a competent court, after giving to the Government a reasonable opportunity of being heard, to be invalid...”

یہ اس میں کہا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کامپٹینٹ کورٹ کر سکتا ہے۔ نئے سرے سے کر سکتا ہے اور وہ فیصلہ واپس جاسکتا ہے جس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اس کو سب واپس ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ کامپٹینٹ کورٹ کون سا ہوگا۔ یہ اسپٹ ہونا چاہیے کہ کامپٹینٹ کورٹ کون سا ہوگا۔ ساری قانونی کارروائی میں تو وہ نہیں آ سکتا نارل کورس میں۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آپ کے ٹکے سے بہت زیادہ امید تھی لیکن اتنی توجہ نہیں دی گئی۔ مثال کے طور پر آج سب سے بڑا سوال ملاوٹ کا ہے۔ آج کوئی چیز ایسی نہیں بچی ہے جس میں ملاوٹ نہ ہوتی ہو۔ چاول، گہوں، چینی سب میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ پچھلے سال بھی ایمیل ٹیلو کا معاملہ سامنے آیا۔ دلپستی میں اس کی ملاوٹ ہوتی تھی۔ اس سے بہت لوگوں کی بھاؤ ناؤں کو بھی ٹھیس لگی۔ آج کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ بہت بڑھ گئی ہے۔ دو اولے میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ ہزاروں آدمی اس کے وجہ سے موت کے شکار ہو رہے ہیں۔ سرکار کو اس اور سخت قدم اٹھانے چاہئیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلو اور کر رہے ہیں پھانسی تک کی سزا ہونی چاہیے۔ میرے خیال سے باقی سرتے بھی اس بات سے سمجھت ہوں گے۔ ابھی تک سرکار نے کوئی سخت قانون نہیں بنایا ہے۔ ایسے جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔

یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا بیوری سرکار ادارہ ہے۔ میری اپنی ریاست کا مجھے تجربہ ہے کہ ہم ہر سال ہزاروں ٹن گندم اور چاول خریدتے ہیں۔ آزاد صاحب ہمارے جموں اور سری نگر میں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ گوداموں میں ہزاروں من اس وقت مٹرا ہوا اور سب اسٹینڈرڈ گندم اور چاول پٹرا ہوا ہے جسے لوگ نہیں کھا سکتے۔ اس قدر بھر شٹا چار اس ٹکے میں ہے۔ ہم سرکار کو پوری رقم ادا کرتے ہیں لیکن جب بوریاں کھولتے ہیں تو ہزاروں بوریاں ایسی نکل آتی ہیں جن میں کڑا ہوا یا اسپورٹس قسم کا چاول اور گندم ملتا ہے۔ بلیک مارکیٹ میں دیپاری لوگ جو کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا اس بارے میں سرکار سے کہنا چاہوں گا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کافی اسٹاک پٹرا ہوا ہے جسے ایف۔ سی۔ آئی۔ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کئی بار جب سپلائی کم ہوتی تو مشکل حالات میں وہی گندم لوگوں کو دینا پٹرا جس سے ان کے صحت خطرے میں پڑ گئی۔ پچھلے سال ہماری ریاست میں غلے کے کمی بڑھ گئی تھی اور ہم نے چاہا تھا کہ ہمیں اوپن مارکیٹ میں خریدنے کی اجازت دے دی جائے۔ ہم نے پنجاب اور ہریانہ کی مارکیٹ سے لے کر اور اچھے قسم کا گندم اور چاول لیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ دوسرے اسٹیک سے اوپن مارکیٹ میں ڈائریکٹی خرید نہیں کر سکتے۔ یہ طریقہ نہ صرف نقصان دہ ہے بلکہ انٹراسٹیک لینٹس کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔

PROF. N. G. RANGA : Your Government is free to purchase it ; your Government is permitted to do it.

غمری عبدالرستہ کی کاپی : اس بارے میں میرا سوال بھی تھا۔ سرکار نے کہا ہے کہ ہم نے ایک اسٹیٹ کو دوسرے اسٹیٹ کے اندر چاول یا گندم خریدنے کی اجازت نہیں دی اور وہ ڈائریکٹ نہیں خرید سکتا۔

--- (انسٹرپشنز) ---

ہماری سرکار کے سامنے بہت پہلے ایک پروگرام تھا اور پالیسی میٹر بھی بنا تھا کہ ڈسٹری بیوشن سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے یہ پروگرام بنایا گیا تھا۔ دس سال پہلے پلاننگ منسٹری نے کمیٹیمنٹ کیا تھا کہ ڈسٹری بیوشن سسٹم اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ ۶۷ پرنٹ لوگ چند روپے کا کراس ملک میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈی۔ بی۔ در صاحب جب پلاننگ منسٹر تھے تو ہم اس سے سرکار نے اس قسم کا یقین دلایا تھا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی سرکار پوری طرح سے ناکام رہی ہے۔ ویپاریوں کو اتنی کھلی تھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس قسم کی چاہت خریداری کریں اور لوگوں کا خون جو س لیں۔ جب موسمی حالات خراب ہوتے ہیں تو ویپاریوں کو بڑے گوداموں میں جمع کر کے اس کو دہنی یا چکن قیمت پر زرخٹ کر دیتے ہیں۔

یہ بہت بڑا غلطی ہے اور ہمیں دیکھنا پڑے کہ ہندوستان

کے کروڑوں لوگوں کی زندگی کے ساتھ اس طرح کا کوئی سودا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ کوئی کنٹری کا آرٹیکل نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کے بغیر زندہ نہ رہ سکے۔ یہ ویسی ہی ضرورت ہے جیسے ہوا اور پانی کی ایک آدنی اور ضرورت ہوتی ہے۔ یہی کسی کی کمائی دو روپے یا چار روپے ہے تو اس میں اس کو خرید کرنی ہوتی ہے۔ لیکن بلیک مارکیٹنگ اور پرائس راسر کا آج یہ حال ہے کہ پاسے کوئی کتنی کمائی لیں نہ کرے وہ اپنے آپ کو نہیں کھلا سکتا۔ اس کو اپنی پوری فیملی کے سارے ممبران کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ ان کے ضروریات کو پورا کرنا ہے تب کہیں وہ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اس بنا پر میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری سرکار کو اس نظریے سے اس پالیسی پر نئے سرے سے سوچنا چاہیے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ڈسٹری بیوشن سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے اور مل میں یا دوسری جتنی کرپٹ پریکٹیسز چل رہی ہیں ویپاریوں کو کنٹینشن مل رہے ہیں وہ ان ڈپارٹمنٹ کام ہو رہے ہیں ان کے خصوصی لائسنس کو ختم کرنے کے ساتھ آپ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے اور ایک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لئے میں

آپ سے عرض کروں گا کہ جہاں آپ نے دیش کے عوام کے لئے بیس نکاتی پروگرام بنایا ہے بہت اچھی بات ہے۔ ہم سرکار کے ہر اچھے کاریہ کرم کو خوش آمدید کہتے آتے ہیں یہی وہ کوئی غریب لوگوں کے بھلے کے لئے کاریہ کرم بنائے۔ لیکن جہاں تک آپ کے بیس نکاتی پروگرام کا سوال ہے اور لوگوں کو بیسک فیسیلیٹرز دینے کا سوال ہے اس میں سرکار کس حد تک کامیاب رہی ہے اس کا جتنا پر وپیگنڈہ ہو رہا ہے۔ رقومات خرچ ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ کم قیمت پر لوگوں کو کتنا کپڑا آج تک مہیا ہوا ہے لیکن پروگرام میں جو یقین دلایا گیا ہے اس کا بینیفٹ عام لوگوں تک کتنا پہنچ رہا ہے۔ اس کی زندگی کی جتنی ضروریات ہیں کپڑا لٹا کھانے پینے کی ساری چیزیں وہ کس حد تک اسے مل رہی ہیں۔ کھلے مارکیٹ میں وہ آپ دیکھ لیجئے۔ ویسے کانڈ میں کمیٹیمنٹس میں اور زبانی ہماری ساری کارروائی میں ہیں۔ لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جہاں ہمارے اوپر بڑے بڑے ویپاریوں کا پریشر ہے چاہے وہ شوگر کے ویپاری ہوں یا پٹرے کے یا ہمارے کوئی انڈسٹریلسٹ ہوں جن کا قبضہ جما ہوا ہے میں یہ بات عرض کاںگریس آئی حکمرانوں کے سلسلے میں ہی نہیں کہتا بلکہ ساری پارٹیوں کے سلسلے میں کہتا ہوں کہ حکمران پارٹیاں عام طور پر الیکشن کے دوران ان سے کچھ فنڈس حاصل کرتی ہیں چندہ وصول کرتی ہیں اور اس کا نتیجہ بعد میں عام لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے پرائس راسر بھی ہو رہی ہے جس ڈھنگ سے ہمارے یہاں حکومتیں بنتی ہیں ہم الیکشن کے دوران بڑے بڑے لوگوں سے ملے داروں بزنس میں آدمی سے چندہ وصول کرتے ہیں اور جس طرح کا ہمارا پولیٹکل سسٹم بن گیا ہے۔ اس کا خاتمہ کرنے کی بھی آج بہت ضرورت ہے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کوئی کامپریہنسیو بل لے کر اس سدن میں آئیں اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بنیادی سدھار میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ منافع اور فائدہ پہنچانے کے لئے آپ جو بھی کام کریں گے ہم ان تمام کاموں میں آپ کے کسی طرح دور نہیں ہوں گے۔ شکریہ!

THE MINISTER OF STATE OF THE
MINISTRY OF FOOD AND CIVIL
SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA
AZAD) : Madam, I am thankful to all the
Members who participated in this Debate on

this Amending Bill for their observations, comments and criticisms—A few on the target and much beyond the target. I was thinking that I am being compensated for my Ministry not being taken up in the Budget debate. Last year, when I had the most difficult time of the century because of the worst drought, I had my chance to have the debate on my Ministry. This year when I have a comfortable Position neither the Opposition wanted to hear me nor my own friends and the Minister pushed this for discussion in the House. But this Bill has provided me with that opportunity. Now, if I want to restrict myself strictly to the Amending Bill, it will be finished in five to ten minutes, but because of the kind of criticism that has been raised on the entire food policy of the Government, I will have to speak for forty-five minutes. It is a choice for the House to consider what it wants.

The point is that there are three kinds of criticisms that have been levelled and there is only one which is relevant to the Bill. Such criticisms are very few because most of the Members have agreed in principle and also supported this amending Bill excepting Mr. Daga, who challenged the very provision the only important provision of the Bill which all other Members of the Opposition supported and which only my friend did not support. Any way, that is one aspect. The second is related to the Bill indirectly, about the food policy and others. They are absolutely beyond the scope of the Bill, about adulteration and other things. So, I would say first about the Bill. The amending Bill is very limited in scope.

Friends, normally when a Bill is brought before the House for amendment, one criticism is that the Government should bring a comprehensive Bill, it is very inadequate. It is the case with almost every Bill that is brought before the House.

Madam, I would like to submit that the Government when it comes with an amending Bill, it comes before the House in the light of experience and the difficulties that it had. In this case, for example, the Essential Commodities (Amendment) Bill, 1983—this Essential Commodities Act has been amended quite a few times in the past according to the difficulties surmounted by the Govern-

ment. Now, we have come with one important amendment and that is, under Section 3 of the Essential Commodities Act, the objective is that we must make available to the consumers essential articles at fixed price, and the price should also be reasonable and the commodities also should be available to them. We must make it in such a way that the essential articles have a reasonable price and also they are available. In the light of this Section 3, when you want to do that, sometimes orders are passed to make available that particular article which is difficult to get in the market. Under this Aluminium Control Order 1970 issued under the provision of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, we introduced a conception of retention and sale price of aluminium in July 1975. There are four companies in this country which are producing aluminium—HINDALCO, INDAL, BALCO and MALCO. Excepting BALCO, a Government undertaking, the three others are private companies. They have different prices. Madam, I am coming to this because for the Essential Commodities Act we are the nodal Ministry; otherwise the entire thing is under the Steel Ministry. I told them, 'you better face the House so that you can explain why this Order is required, why they are not paid. I cannot say why they are paid, I will give the facts and figures, but the administering Ministry is the Steel Ministry. I am coming to relieve their difficulties by taking action under this Aluminium Control Order of 1975, under which retention price has been given to all these four companies and the sale price. Now, if the retention price is lower than the sale price, then that company is required to pay to the difference of money to the Aluminium Regulation Account Fund. If the retention price is higher than the sale price, then they are entitled to draw from this Account from that Fund. Now, with this limited scope there are four Companies—HINDALCO, INDAL, BALCO and MALCO. The retention price for HINDALCO which is a Birla Group company, is Rs. 14,365. The sale price is Rs. 15,361. Therefore, HINDALCO had to deposit this difference amount in that Aluminium Fund Account. Similarly, a company whose retention price is less than the sale price has to deposit. So is the case with INDAL. These two companies whose retention price

is less have to deposit. But BALCO and MALCO whose retention price is more have to draw. Now, the question came about this HINDALCO. An hon. Member asked about the money due from them, the amount due from them to the Government. HINDALCO did not deposit that money. They went to the Calcutta High Court. The Court in the first instance stayed them. We went in appeal. They say, no you have to pay it. Then they went to the Supreme Court. What happened under this Act? The simple point is though we have Essential Commodities Act under which I can prosecute the party for not paying, the party can be sent to jail. The party can be fined or both punishments can be inflicted. But for the recovery of the due, you can go only under the Civil Procedure Code. So, now we are coming with a limited amendment of the Act. Now that amount should be realised as land revenue. That is the purpose of this Amending Bill. I am, therefore, happy that all the hon. Members have supported this. Mr. Daga had misconception. There was some misunderstanding on his part. Fine and imprisonment under the Act for not depositing is separate. This is about the amount not being paid to the Aluminium fund. Therefore, we are doing this. I hope Shri Daga now supports it. Now this Amending Bill has got unanimous support of the House. I am thankful to all the hon. Members for their support. This is the only relevant part.

There is only one point of interest which the hon. Members have said. Now that this amount is being realised as land revenue. We have said it is both ways. If at any time, as I have made the provision, the court gives an order against us, withdraws amount, I will have to pay interest. I will have to pay @ 6%.

Secondly, I must say—my feeling as a Member before I became a Minister—I also thought it should be higher. Then it was pointed out about the Civil Procedure Code Section under which the court says they have a right—that if you fix up some interest higher which they feel is unreasonable, it can be struck down. Therefore, without waiting for further examination under Section of Criminal Procedure Code, I hurried to the House, with that interest. I will keep in mind what the hon. Members have said. I will definitely remember it.

That was my difficulty. I could not consider further to increase. That is my apology on that account.

SHRI K. MAYATHEVAR: Bank rates are higher.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Now that this Bill is over. The other parts of the criticism are not directly relevant to this amending Bill. Shri Satyasadhan Chakraborty had started in a big way about the entire food policy of the Government. He should have raised in the Business Advisory Committee. It would have given me a chance to get my Ministry discussed. I have better performance this year than last year when we faced drought.

I may tell him about the Food Management Policy of the Government of India. The policy consists of, the Central Government's steps to increase production, then procurement, and after procurement proper storage, transportation, handling, etc., and finally handing it over to the State Government.

Since I have taken over, I have been emphasising very very strongly to all the State Governments including West Bengal—before you take over any quantity or any grain from Food Corporation of India, please examine it thoroughly. Do not give your fit for consumption certificate. That is the only way of keeping control on F.C.I. about quality.

If an hon. Member tells me, I call upon the F.C.I. and quite invariably I get from the State Governments certificate (including West Bengal) that the quantity was correct and the quality was a fair average quality fit for consumption.

I would tell the hon. Members that whatever you are telling me, please also speak to your Governments in the different States whether Congress-I or non-Congress-I Government, and please see this is observed. This is the only way. Once I hand over to the State Government, from there it goes to the fair price shops. There, it is your responsibility. And it is necessary. We can only say, we can only tell them, guide them and persuade them. Guidelines are issued. You know very well under the Constitution, how far we can go. And I hope the hon,

Members believe what I say. I have done what I mean to say. I go to the farthest extent to help the State Governments and also to take work from the State Governments, but under the Constitution.

PROF. N. G. RANGA (Guntur) : It applies to Jammu and Kashmir.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Yes, it applies to Jammu and Kashmir very well. Though hon. Member from J & K is not here I would say that about the rice and wheat, the State Government came. I was giving them liberally. Even last year, I gave them when actually I should have reduced the amount. But I knew that it may sometime have a political overtone. So, I did not reduce. That is what I did this year also to certain State Governments. We can come to that later.

SHRI VIRDHI CHANDER JAIN : Are you afraid of both the West Bengal Government and the Jammu and Kashmir Government ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I do not fear. I say the friends who are sensitive to the criticisms that are levelled by the Opposition Governments, you can appreciate the position. Therefore, I do a little better for them. I subject myself to that thing, to the Congress-I Member. As I said, West Bengal is a deficit State. As you said 20% of the total procurement I give to West Bengal because this is a deficit State. And what I expect from then now is, as Prof. Chakravorty said, once it is given, they must themselves be very careful.

When you ask me about the distribution system and criticise the entire thing as absolutely hopeless and nothing, it seems from the argument advanced that nothing exists in the country. But I must say that there are fair price shops. True some of them might not be functioning. I cannot say that. But to say that nothing functions is completely distorted version of the truth. There are 2,97,00 fair price shops in the country. Well, all of them are not in the urban areas. 64,920 fair price shops are in the urban areas. In the rural areas, there are 2,28,000 fair price shops. Out of them, something about a lakh or 90,000 are in cooperative sector. Now the question is

that these fair price shops—whether in rural areas or urban areas, whether in cooperative or in private—are directly under the supervision control and guidance of the State Government. You cannot expect me to do from here.

But one thing is there. What the hon. Member from Jammu and Kashmir has said or one or two more Members, whatever may be the extent of fair price shops, the quantity that I am giving is increasing. Imagine that the quantity in million tonnes in 1979 was 17.94. In 1982, it increased to 25.69 million tonnes. Value in terms of money, it was Rs. 2068 crores in 1977 was distributed. Now, it is 5738 crores of Rupees. It is about 144% in volume and 38% in value. I am sure, it is not the contention of the hon. Members that all these are going to dust and drain. It is not at all. It has increased. It has proved its utility. What is required is this. I agree with the hon. Member that it is not possible for the Inspectorates only. You want vigilance. On the one side, you say implementation. How do you want the implementation to be done by the Government ? I want to tell the hon. Member that there is a system. There could be a better system, I can agree. But inspectorates are there. One hon. Member has said that 50% of them are honest and 50% are dishonest. But we see the inspectorates. Neither I nor he does it. What is required is a strong consumer protection movement in this country. I am trying for that. But if you want to give it a Government shape, like some of the cooperatives, it will again be not a people's movement. When the hon. Member said, nothing is available in the country, I would say that is not so. I have a constituency of my own. I have been a Minister for only 3 years. Before that, for 23 years, I have been a Member of Parliament. You should be able to have a popular consumer movement in your constituency. It is for the MLAs, the MPs, the society and the consumers' organisations—they are all powerful—to see that there is a powerful consumers' movement. Please do not expect from the Inspectors of the Department to take charge of everything. I would agree on this point. But I do not agree with the point that nothing reaches the people and nothing is available in the country.

There are a large number of fair price

shops. There might be some fair price shops which are not functioning properly. But a large majority, an overwhelming majority, of them do function. That is why the poorer sections, the weaker sections, of society are able to get their wheat and rice. At this point of time, I will be able to say only about wheat, rice and sugar. About the supply of kerosene, coal and other items, all that has to be directed through the administrative Ministries concerned. All that is not under my Ministry. There are mainly seven items to be supplied through the fair price shops. This is about distribution.

Many hon. Members have said about allocation of foodgrains to the States. I would simply ask: Where do I get supply from? Has the Central Government its own specified field of cultivation for paddy and wheat? Where do we get from? We get from Punjab, Haryana and Andhra Pradesh. Whatever surplus States give me, whatever I am able to procure, I distribute it to various States. All that is demanded from the States is impossible for the Central Government to meet because we are only a supplement to the total requirement in the State. Firstly, the most important thing is that the State Governments themselves have to make efforts, either produce or procure or store. Secondly, what is left in the market, what is available in the market, I procure and, out of it, after seeing the availability in the market, I distribute. That is what I do. If this policy is kept in view, I know, the hon. Members will be always angry, rather dissatisfied, with me.

Last year, there was the worst drought of the century. Since I took over, as Minister, several States, including Tamil Nadu, had four consecutive droughts and my first appointment was with the Chief Minister of Tamil Nadu. He was getting 5000 tonnes of rice per month and I raised it to 35,000 tonnes per month throughout the year. They were not in the Central pool. But they promised that they will join the Central Pool when they were in surplus. This year, they are in a good position. But so far I have not received any rice from Tamil Nadu. I hope, they will fulfil their commitment because, out of their commitment, I send something to Kerala, West Bengal and Tripura. Therefore, this year, I have reduced 10,000 tonnes from Tamil

Nadu's allocation though I should have reduced more. They have better prospects, they have got in their godowns more rice. I have reduced for Assam which is a difficult State. I have to do it. Unless I do it, how can I manage? you see for one month, but I have to see for all the twelve months.

Rice is not that easily available from outside the country as wheat is available. I can get wheat in the international market at a competitive price but not rice. I get something from Thailand, something from Burma. In my opinion, though this year rice procurement will be the highest, yet compared to the demand, it is not enough. Sometimes my friends from Kerala and Tamil Nadu get angry with me when I say, the country must eat what it produces.

The people in Bihar have changed their eating habits. West Bengal, an absolutely rice consuming State, is now given half rice and half wheat of its total allotment. The other State also will have to accept the inevitability of this logic.

Therefore, I would say that the food policy of the Government has succeeded.

If sometimes you find that I am not able to allot foodgrains according to the demand, please don't suspect my good intentions. Please always remember that my capacity to supply foodgrains depends on the capacity of the State Governments to procure and give foodgrains to me and I, as your custodian at the Centre, distribute those foodgrains to the States suffering from drought and permanent deficit.

I am fortunate that happen to be the the Minister of Food and Civil Supplies at this stage when the country has registered a record production of 149 million tonnes in foodgrains. In spite of this record production, we resort to import of foodgrains. As the hon. Members know, we do not import anything just for luxury or merely to subsidise others. Our import of foodgrains is a matter of adequate precaution taken by Government because ours is a country where agriculture mostly depends upon rain God in spite of the irrigation facilities being extended.

Therefore, I have taken that precaution.

I can assure the hon. Members that the interests of the farmers of our country will not in any way be affected by the import of foodgrains that we are making. It is only to take abundant precaution to guard against want of foodgrains that we resort to imports.

It is true that procurement, allocation and distribution of foodgrains has gone up. But in spite of this, I cannot agree with Shri Satyasadhan Chakraborty's suggestion that the wholesale trade in foodgrains should be nationalised. Government has no such intention. The food policy of the Government of India consists in procurement, distribution and making of foodgrains available in the open market. The State Governments also follow this same policy. These three points are important and should be carefully considered. After all, availability of foodgrains in the country remains the same even though procurement or distribution may be more or less. If I procure more foodgrains, there will be less availability in the market.

Some hon. Members have spoken about adulteration. We have a provision in the Essential Commodities Act for summary trial and two years imprisonment and all that.

Some other hon. Members have mentioned about the transport charges, implementation and inspection. I have already said something about this. Shri Mool Chand Daga replied them.

Shri R.L.P. Verma was extremely critical from the other side. But since the hon. Member is not present now, I will not repeat it and make it known to the House of that extreme criticism.

Shri Ram Pyare Panika mentioned the guidelines and about the 2,000 units. We are trying to do that. Out of 31 States, 15 States had implemented the 2,000 fair price shops. I am trying to persuade the other States and requesting them to do it.

Shri Rajesh Pilot who is not present now mentioned about rural areas. I have given the figures that there are more rural areas than urban areas.

Shri Banarsidas mentioned about roller flour mills. We are giving to roller flour mills procurement at Rs. 208/- per quintal,

Our economic cost about procurement is Rs. 219/- and not Rs. 260/- or something like that. We are giving at the PDS at Rs. 172/- per quintal, and thereby the Central Government is incurring about Rs. 835 crores subsidy on the food item which is an important item about rice, wheat and other things.

As regards sugar, the hon. Member was talking absolutely beyond the point. He asked "Why do you pursue two policies? Make everything open." He wants weak consumers to suffer. Government will never do that. We must be sure. We must make available to the vulnerable and weaker sections of the society through our PDS system by giving the Government support in prices which is Rs. 835 crores subsidy and also in sugar at a particular price at Rs. 4/- and the rest in the open market. 65 per cent is the sugar which we procure and 35 per cent only is for free sale. Government is proud that it has been able to give it to the weaker sections of the society, and we will continue this policy.

श्री रामावतार शास्त्री : लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं ।

SHRI BHAGWAT JHA AJAD: Mr. Shastri was not here. I have already said that this has to be looked into by the State Governments who administer this. Whenever and from whatever corner I get a complaint, I only forward it to the State Government concerned to look into it because it is not possible for us, over the entire country, from Kashmir to Kanyakumari, to see what ration cards are in Tamil Nadu or in Bihar. It is the State Governments who are the proper authorities for this. The hon. Member, through his Party in the different Legislatures or outside on the platform has to take up the matter.

With these words, I conclude. I am grateful to the hon. Members for supporting this amending Bill and also giving me a small consolation in to speak in this Session about my Ministry's performance.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Are you thinking of re-establishing the food zones which were there previously and which you have abolished?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : We have no such intention. Today there is only one zone for the entire country. For wheat it is all over the country. Only for rice there is one confusion. Even in rice, the levy free rice is free all over the country. Every State Government has, under the Essential Commodities Act, levy on rice. They procure either from the mill or from traders. Apart from that, the levy free rice is free all over the country. When any State Government want to purchase from other State Governments, they have to seek our permission, but not for levy free rice, because, suppose Tamil Nadu wants, Orissa wants, West Bengal also wants, Kerala also wants, and if I allow them all to purchase from the Andhra Pradesh market, it will be very difficult to procure for myself and after procurement to contain the price in the State. Therefore, normally we do not encourage the State Governments to enter the market as a State Government, but they are free to have the levy free rice from the free trade movement. That helps the country in having equilibrium. Therefore, at present we have no such intention like the past to have such zones.

SHRI VIKRAM MAHAJAN (Kangra) : Is it correct that the wholesalers, for instance, the Karnataka wholesalers are allowed to buy or can buy from Andhra ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I have already explained that there is levy free rice in each State ; the private trade or any trade can have it. The State Governments have the order under which they get the rice and the certificate is given that this rice has been levied and given and this is levy free rice which the private trade can move. That is why I said that the food policy of the Government consists of availability in the open market, what is procured by the State Government and what is procured by the Central Government.

SHRI VIKRAM MAHAJAN : My question has not been answered. A free trader or a private trader in Tamil Nadu can buy from Andhra, but the Tamil Nadu Government cannot buy from Andhra. Is it correct and if so why ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I have explained this point...

MR. CHAIRMAN : The Minister has

already explained. I am not allowing.

(Interruptions)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : He has not explained.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I have said 'no'. I will tell you why there is difference between private trade and this. The moment the state Government enters any State, he gets the finance from the Reserve Bank, he comes in a big way to the market and he can purchase any amount of rice from that market. Any amount—20,000, 50,000 or 1 lakh tonnes. That is No. 1. No. 2—they get priority and they can straightaway move whereas the private trade cannot on that account purchase that amount. They can purchase small quantities and they get 'D' priority for movement. Therefore, this is the difference between the private trade and the State Government. That is why I said the Government is only concerned with the levy rice. After that, the levyfree rice can be moved to any part of the country by the private trade. To freely permit the State Governments to enter any market will only push up the prices.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Clause 2—

AMENDMENT MADE :

Page 1, line 19,—

for "1983" substitute "1984" (3)

(Shri Bhagwat Jha Azad)

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That clause 2, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 1—

AMENDMENT MADE :

Page 1, line 4,—

for "1983" substitute "1984"

(Shri Bhagwat Jha Azad) (2)

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula=

AMENDMENT MADE :

Page 1, line 1, —

for "Thirty-fourth" substitute 'Thirty'.

ffth" (1)

(Shri Bhagwat Jha Azad).

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

16.50 hrs.

GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBABIAH) : Madam, Chairman, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Government of Union Territories Act, 1963 as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

Madam, in the case of Legislative Assemblies of the States and this House, the Constitution has already been amended to provide that till a Census is taken after 2000 A.D. the Assembly and the Parliamentary Constituencies will remain as they were delimited on the basis of the 1971 Census. The provisions of the Constitution

relating to the Legislative Assemblies do not apply to the Legislative Assemblies of Union Territories, including Mizoram. There are certain provisions in the Government of Union Territories Act, 1963 regarding delimitation of Assembly constituencies in Union territories. The term of the Legislative Assembly of Mizoram was to expire in May this year. The existing constituencies of the Assembly in the Mizoram were delimited in 1975 on the basis of the population ascertained in the 1971 Census. Thereafter, the 1981 Census was taken.

Section 43A of the Act *inter alia* provides that the Assembly constituencies in Mizoram shall be delimited on the basis of the latest Census figures. A view is possible that this provision applies only to a delimitation of Assembly constituencies for the first election to the Mizoram Assembly. Another view is also possible that it is obligatory to delimit the Assembly constituencies in Mizoram on the basis of the population figures ascertained at the latest Census, namely, the 1981 Census. This August House will agree with me that, in a matter, so important as elections to an Assembly, there should be no room for doubts and it is not always desirable to rely on a very strict interpretation of the law. Accordingly, in order to put the matter beyond all doubts, this Bill proposes to make a clarificatory provision that the latest Census figures mentioned in Part III of the Act relating to delimitation of Assembly constituencies shall be construed as a reference to the 1971 Census figures until the relevant figures for the first Census taken after the Year 2000 have been published and it shall not be necessary to readjust the division of each Union Territory in the territorial constituencies till that time. What we are now doing for the Union territories is the same as has been done for the State Assemblies and this House.

The provisions now being made will have application to all the Union territories covered by the Act.

Section 3 of the Act provides that the number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of a Union territory shall be proportionate to their population in the Union territory. This section does not apply to Mizoram but the opportunity